VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सरकारी योजनाएं

त्रैमासिक

रिवीजन

सितम्बर - नवम्बर 2023

दिल्ली अहमदाबाद भोपाल चंडीगढ़ गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची सीकर

फाउंडेशन कोर्स

सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा

2025, 2026 & 2027

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- 70 प्री फाउंडेशन कक्षाएं
- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

DELHI: 17 जनवरी, 9 AM | 20 फरवरी, 1 PM **BHOPAL: 21 फरवरी**

LUCKNOW: 21 फरवरी **JODHPUR: 23 जनवरी** **JAIPUR: 23 जनवरी**

UPSC पर्सनालिटी टेस्ट 2023 के लिए सफल सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं

पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम

सिविल सेवा परीक्षा 2023

प्रवेश प्रारम्भ

हिंदी और अंग्रेजी माध्यम

पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की विशेषताएं

प्री–DAF सेशन: इसमें आपको DAF में भरे जाने वाले एक–एक पॉइंट के बारे में बारीकी से समझाया जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि व्यक्तित्व के वांछित गुणों को दर्शाने वाली जानकारी को कैसे सावधानीपूर्वक DAF में भरा जाए।

DAF एनालिसिस सेशन: संभावित प्रश्नों एवं उनके उत्तरों के लिए सीनियर एक्सपर्ट्स और फैकल्टी मेंबर्स के साथ DAF को लेकर गहन विश्लेषण एवं चर्चा की जाएगी।

एलोक्यूशन सेशन: इसमें डिस्कशन और पीयर लर्निंग की सहायता से कम्युनिकेशन स्किल का विकास करने तथा उसे बेहतर बनाने एवं व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास किया जाएगा।

मॉक इंटरव्यू सेशन: इंटरव्यू की तैयारी को और बेहतर बनाने तथा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सीनियर एक्सपर्ट्स एवं फैकल्टी मेंबर्स, भूतपूर्व ब्यूरोक्रेट्स एवं शिक्षाविदों के साथ मॉक इंटरव्यू सेशन आयोजित किए जाएंगे।

व्यक्तिगत मेंटरशिप और मार्गदर्शन: हमारे डेडिकेटेड सीनियर एक्सपर्ट इंटरव्यू की समग्र तैयारी, प्रबंधन तथा प्रदर्शन को प्रभावशाली बनाने में आपकी सहायता करेंगे।

करेंट अफेयर्स की कक्षाएं: करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक व्यापक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाएगा।

टॉपर्स और कार्यरत ब्यूरोक्रेट्स के साथ इंटरैक्शन: प्रश्नों के ठोस उत्तर, इंटरैक्टिव लर्निंग एवं टॉपर्स और कार्यरत ब्यूरोक्रेट्स के अनुभव से प्रेरणा लेने के लिए इंटरैक्टिव सेशन्स आयोजित किए जाएंगे।

प्रदर्शन का मूल्यांकन और फीडबैक: अपने मजबूत एवं सुधार की गुंजाइश वाले पक्षों की पहचान करने के साथ–साथ उनमें आगे और सुधार करने एवं उन्हें बेहतर बनाने के लिए पॉजिटिव फीडबैक दिया जाएगा ।

मॉक इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग: स्व–मूल्यांकन के लिए इंटरव्यू सेशन का वीडियो भी दिया जाएगा।

Scan QR CODE to watch How to Prepare for UPSC Personality Test

DAF एनालिसिस और मॉक इन्टरव्यू से संबंधित जानकारी के लिए सम्पर्क करें

7042413505, 9354559299

interview@visionias.in

अधिक जानकारी और रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें

विषय-सूची

1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं

1.1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

1.1.1. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) 4

1.2. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

1.2.1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 6

1.3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

1.3.1. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) 8

1.4. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

1.4.1. नवप्रवर्तन, एकीकरण और सतत् शहरी निवेश 2.0 10

1.4.2. दीन दयाल अंत्योदय योजना- शहरी (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) (DAY-NULM) 11

1.4.3. प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना (PM SVANidhi) 13

1.4.4. स्वच्छ भारत मिशन- शहरी 2.0 (SBM-Urban 2.0) 15

1.4.5. प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY-U) 17

1.5. जल शक्ति मंत्रालय

1.5.1. अटल भूजल योजना (अटल जल) 20

1.5.2. जल जीवन मिशन (JJM): हर घर जल 22

1.5.3. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II (SBM-G-2.0) 24

1.6. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

1.6.1. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) 28

1.6.2. प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) 29

1.7. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

1.7.1. पी.एम. विश्वकर्मा योजना 32

1.8. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

1.8.1. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) 2.0 35

2. सुर्ख़ियों में रही फ्लैगशिप योजनाएं

2.1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) 37

2.2. समग्र शिक्षा अभियान-विद्यालयी शिक्षा के लिए एक समेकित योजना 41

3. प्रश्नोत्तरी 43

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

प्रिय अभ्यर्थी,

हमें अपनी नई पहल, **"त्रैमासिक रिवीजन"** डॉक्यूमेंट जारी करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है। इस डॉक्यूमेंट का मुख्य उद्देश्य **निरंतर सीखने की प्रक्रिया** को और बढ़ावा देना है।

इस डॉक्यूमेंट को इस तरह से तैयार किया गया है कि अभ्यर्थी कम समय में रिवीजन कर सकेंगे और उसे याद भी रख सकेंगे, ताकि परीक्षा की अंतिम घड़ी के दौरान तनाव कम रहे।

"सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट" को तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है:

सुर्ख़ियों में रही योजनाएं: इस भाग में कमोबेश पिछली तिमाही के दौरान सुर्ख़ियों में रही योजनाओं को शामिल किया गया है।

सुर्ख़ियों में रही फ्लैगशिप योजनाएं: इस भाग में सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण भारत सरकार की "फ्लैगशिप योजनाओं" को शामिल किया गया है।

प्रश्नोत्तरी: अपनी तैयारी और टॉपिक की समझ का परीक्षण करने के लिए दिए गए **बहुविकल्पीय प्रश्नों** का अभ्यास कीजिए।

आपकी सफलता ही हमारी प्राथमिकता है और हमें उम्मीद है कि यह त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट आपके लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)

1.1 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE)

1.1.1 प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पी.एम.-किसान) (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi: PM-KISAN)

हालिया संदर्भ

हाल ही में, सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पी.एम.-किसान के तहत 18,000 करोड़ रुपये की **15वीं किस्त** की राशि जारी की।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार: यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।**
- **योजना के उद्देश्य:** अलग-अलग कृषि आदानों (इनपुट्स) की खरीद के लिए सभी भूमि धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना।
- **लाभार्थी:** कुछ अपवादों को छोड़कर **सभी भूमि-धारक किसान।**
- **योजना के लाभ:** इसके तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष, प्रत्येक चार महीने में **2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये** दिए जाते हैं।

अन्य उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य **सभी पात्र भूमि धारक किसान परिवारों को आय सहायता** प्रदान करना है। **परिवार** की परिभाषा में पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे शामिल हैं।

प्रमुख विशेषताएं

- **अनिवार्य भूमि अभिलेख/ स्वत्वाधिकार (Land records):** इस योजना का लाभ केवल **उन्हीं कृषक परिवारों को मिलेगा, जिनके नाम भू-अभिलेखों में दर्ज हैं।** इसके अपवाद हैं- **वन निवासी तथा पूर्वोत्तर राज्य और झारखंड,** जहां भूमि अभिलेखों के लिए अलग प्रावधान हैं।
- **लाभार्थी कृषक परिवारों की पहचान:** इनकी पहचान **राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश** सरकार द्वारा की जाती है।
- **स्व-पंजीकरण तंत्र: मोबाइल ऐप, पी.एम. किसान पोर्टल और कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) में जाकर।**

- **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC):** पी.एम.-किसान के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) दिए जाएंगे। **KCC के जरिए समय पर पुनर्भुगतान करने पर अधिकतम 4% ब्याज** के साथ फसल और पशु/ मछली पालन के लिए ऋण दिया जाता है।
- **धन के विचलन या दुरुपयोग की रोकथाम: भौतिक सत्यापन** मॉड्यूल (5% लाभार्थियों का), **आधार प्रमाणीकरण और आयकर दाता सत्यापन।**
- **परियोजना प्रबंधन इकाई (Project Management Unit: PMU):** PMU को केंद्रीय स्तर पर स्थापित किया गया है। यह योजना की समग्र निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
  - राज्य सरकार योजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए एक **समर्पित PMU** स्थापित करने पर विचार कर सकती है।
- **शिकायत निवारण:** निगरानी और शिकायत निवारण समिति को प्राप्त होने वाली किसी भी शिकायत या प्रतिवेदन को **दो सप्ताह के भीतर प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाना चाहिए।**
- **योजना से बाहर रखा गए किसान:** ऐसे किसान **जिनकी आय अधिक है** वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

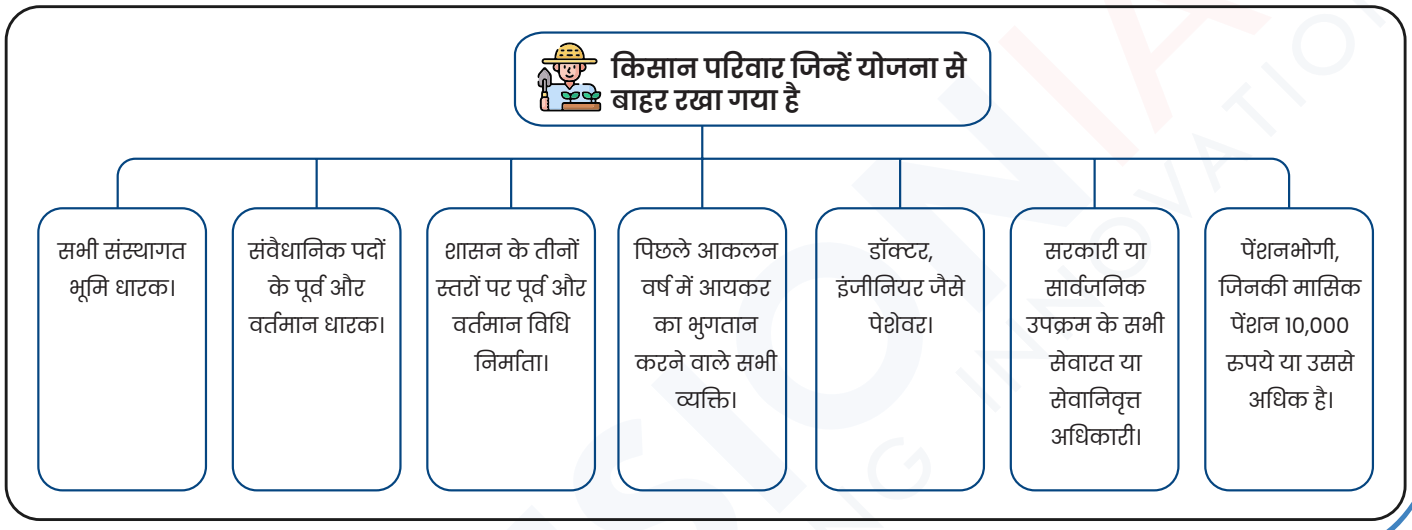

योजना से संबंधित प्रमुख मुद्दे

- **राज्यों की ओर से त्रुटिपूर्ण डेटा अपलोड** किया गया था, जिससे अपात्र लाभार्थियों को भी भुगतान प्राप्त हो गया था।
- इस योजना में ऑफ़लाइन आवेदन का कोई प्रावधान नहीं है। इससे हाशिए पर रहने वाले कई लाभार्थी अपना पंजीकरण नहीं करा पाए। परिणामस्वरूप वे इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए।
- **राज्य सरकारों के पास** आयकर भुगतान की स्थिति के बारे में **स्व-घोषणा की जांच करने और अन्य अयोग्य लाभार्थियों को बाहर करने के लिए कोई तंत्र नहीं है।**
- **पात्रता संबंधी विवाद,** जैसे- बिहार में 2020 से लगभग 45,879 लाभार्थी आयकर दाता हैं।

योजना को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए **राज्य स्तर पर समर्पित PMU, शिकायतों का शीघ्र निवारण, लाभार्थियों का समय पर सत्यापन** करने की आवश्यकता है।

1.2 उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

1.2.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 {NATIONAL FOOD SECURITY ACT (NFSA), 2013}

हालिया संदर्भ

केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) को 1 जनवरी, 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना है।**
- **योजना के उद्देश्य:** एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर **खाद्य और पोषण सुरक्षा** प्रदान करना।
- **लाभार्थी:** देश की आबादी का 67% (ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50%) हिस्सा।
- **लाभार्थी परिवारों की पहचान:** वित्त वर्ष 2011-12 के लिए **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS)-परिवार द्वारा उपभोग सर्वेक्षण डेटा** के आधार पर।

अन्य उद्देश्य

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत सब्सिडी वाली दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए **"पात्र परिवारों" के संबंधित व्यक्तियों को कानूनी अधिकार प्रदान करना।**
  - सब्सिडी वाली दरों यानी सब्सिडीकृत मूल्य को ही **केंद्रीय निर्गम मूल्य** (Central Issue Price: CIP) कहा जाता है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं

- **लाभ:** लाभार्थियों को **सब्सिडी दरों पर चावल, गेहूं और मोटा अनाज** उपलब्ध कराया जाता है।
  - पात्र व्यक्तियों को मोटे अनाज/ गेहूं/ चावल के लिए **क्रमशः1/ 2/ 3 रुपये प्रति किलोग्राम के केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP) पर** खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।
  - प्राथमिकता वाले परिवारों (PHH) को **5 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति प्रति माह खाद्यान्न दिया जाता है।**
  - अंत्योदय अन्न योजना (AAY) वाले परिवार (सबसे गरीब परिवार) प्रति माह प्रति परिवार 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न के हकदार हैं।
- **जीवन चक्र दृष्टिकोण (Life cycle approach)**
  - **गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं (PW&LM) तथा बच्चे (6 माह-14 वर्ष)**
  - **गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को** आंशिक वेतन मुआवजे के रूप में **कम-से-कम 6,000 रुपये का नकद मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है।**
- **अन्य लाभ**
  - **खाद्य सुरक्षा भत्ता:** यह खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में पात्र लाभार्थियों को दिया जाता है।
  - **शिकायत निवारण तंत्र:** जिला और राज्य स्तर पर स्थापित।
  - **लोक सेवक या प्राधिकारी पर अर्थ दंड:** जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा अनुशंसित राहत के अनुपालन में विफल रहने पर राज्य खाद्य आयोग द्वारा आरोपित किया जाएगा।
  - **महिला सशक्तीकरण:** राशन कार्ड, घर की सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य (18 वर्ष या उससे अधिक) को जारी किया जाता है।
- **संघीय सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी:**
  - **केंद्र की जिम्मेदारी:** खाद्यान्न का आवंटन और परिवहन, FCI गोदामों से उचित मूल्य की दुकान (FPS) तक खाद्यान्न की डिलीवरी के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना।
  - **राज्य की जिम्मेदारी:** पात्र परिवारों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करने जैसे प्रभावी कार्यान्वयन।

ऑनलाइन | दिल्ली | अहमदाबाद | भोपाल | चंडीगढ़ | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची | सीकर

NFSA, 2013 की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए किए गए हालिया सुधार

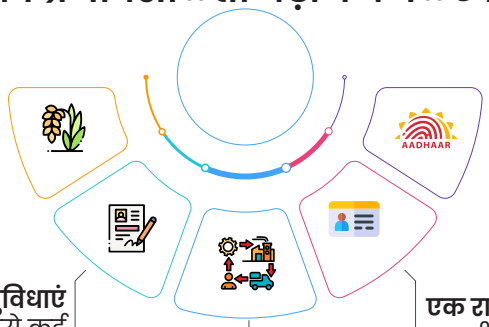

राइस फोर्टीफिकेशन
यह आहार में विटामिन A और पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए एक लागत प्रभावी व पूरक रणनीति है

आधार से जोड़ना
राशन कार्डों को आधार से जोड़ने से नकली लाभार्थियों में कमी आती है और फर्जी कार्ड खत्म हो जाते हैं

ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण सुविधाएं
त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए इसे कई राज्यों द्वारा अपनाया गया है

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC)
प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सब्सिडी वाला राशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।

आपूर्ति श्रृंखला का स्वचालन
कई राज्यों और/या केंद्रशासित प्रदेशों ने इसे लागू किया है जिससे आपूर्ति संबंधित रिसाव में कमी आई है

महत्वपूर्ण पहल

- **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)**
  - **लाभ:** लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान प्रदान करके पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना आदि।
- **एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC) योजना:** NFSA के तहत राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जारी राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी को लागू करना।
  - प्रवासी लाभार्थी, NFSA के तहत जारी अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके **बायोमेट्रिक/ आधार प्रमाणीकरण** के जरिए किसी भी ePoS **(इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल) सक्षम उचित मूल्य की दुकान (FPS)** से खुद को मिलने वाला खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
- **प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी.एम. पोषण)**
  - इसे **2021-22 से 2025-26 तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने** के लिए शुरू किया गया।
  - **लाभार्थी: प्री-स्कूल या बाल वाटिका के बच्चे** (कक्षा I से पहले) तथा **कक्षा I से VIII तक के बच्चे।**
  - **शिक्षा मंत्रालय** इसका नोडल कार्यान्वयन मंत्रालय है।
- **प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)**
  - **लाभार्थी:** अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाली कम-से-कम 19 वर्ष की आयु की **गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं (PW&LM)**
  - **लाभ:**
    - परिवार के **पहले जीवित बच्चे के लिए 5,000 रुपये का सशर्त मातृत्व लाभ।**
    - **जननी सुरक्षा योजना (JSY)** के तहत संस्थागत डिलीवरी और प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराया जाता है। इस हिसाब से एक महिला को औसतन 6,000 रुपये मिलते हैं।
    - **बालिका को सहायता:** PMMVY 2.0 के तहत **दूसरी बालिका के जन्म के बाद एक ही किस्त में 6,000 रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।**
  - इसे 2017 में शुरू किया गया था और 2022 में इसे मिशन शक्ति में शामिल कर दिया गया।
  - **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** नोडल कार्यान्वयन मंत्रालय है।

योजना से संबंधित प्रमुख मुद्दे

- **लाभार्थियों की पहचान:** राज्यों द्वारा अलग-अलग मानदंडों का उपयोग करने से त्रुटियां होती हैं।
- **खराब सार्वजनिक अनाज प्रबंधन प्रणाली:** सरकार अनिवार्य 21.4 मिलियन टन से अधिक का बफर स्टॉक बनाए रखती है। इसके परिणामस्वरूप उच्च भंडारण लागत, मुद्रास्फीति और अन्न की बर्बादी होती है।
- **PDS में बड़े पैमाने पर रिसाव:** शांता कुमार समिति के अनुसार PDS में रिसाव 40%-50% के बीच है और कुछ राज्यों में तो यह 60%-70% तक पहुंच गया है।
- **वित्तीय अव्यवहार्यता:** हालांकि पिछले दशकों में उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है, CIPs अपरिवर्तित बनी हुई है। इसके परिणामस्वरूप 2014-22 के दौरान खाद्य सब्सिडी की लागत दोगुनी हो गई है।

योजना की प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए PHH की पहचान और चयन हेतु मानकीकृत मानदंडों की आवश्यकता है। साथ ही लाभार्थियों की संख्या को कम करके 40% तक करना और CIP को संशोधित करना चाहिए।

1.3 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE: MOHFW)

1.3.1 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (AYUSHMAN BHARAT DIGITAL MISSION: ABDM)

हालिया संदर्भ

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)** के दो साल पूरे होने का जश्न मनाया।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना के उद्देश्य:** स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता और संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए **डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एकीकृत करना।**
- **योजना का प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **योजना की अवधि:** 5 वर्ष
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA)

अन्य उद्देश्य

- **डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों में मौजूद अंतराल को समाप्त करने के लिए** देश की **एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना को बेहतर बनाना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) और ABHA ऐप**
  - ABHA आधार या मोबाइल नंबर का उपयोग करके तैयार की गई एक 14-अंकीय स्वास्थ्य पहचान संख्या है। यह किसी व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक डिजिटल रूप से पहुंचने और उसे साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।
  - ABHA ऐप मौजूदा शारीरिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसे- डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, प्रिस्क्रीप्शन आदि को स्वयं-अपलोड/ स्कैन करने की सुविधा देता है।
- **स्वास्थ्य सुविधा पंजीकरण:** स्वास्थ्य सुविधा पंजीकरण, चिकित्सा की अलग-अलग प्रणालियों के अंतर्गत सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का एक व्यापक भंडार है। इसमें सार्वजनिक तथा निजी दोनों स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं।
- **स्वास्थ्य देखभाल संबंधी पेशेवरों की रजिस्ट्री:** यह सभी स्वास्थ्य पेशेवरों का एक व्यापक भंडार है। यह चिकित्सा की आधुनिक और पारंपरिक दोनों प्रणालियों के लिए उपलब्ध है।

- **एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफ़ेस (UHI):** अलग-अलग डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक ओपन प्रोटोकॉल के रूप में इसकी कल्पना की गई है।
  - UHI अपॉइंटमेंट, टेली-परामर्श आदि सहित अलग-अलग सेवाओं को सक्षम बनाएगा।
- **लाभ:** ABDM के तहत दी जाने वाली सुविधाएं:
  - **व्यक्तियों को सार्वजनिक और निजी दोनों स्वास्थ्य सेवाओं** तक पहुँचने का विकल्प प्रदान करती है।
  - निर्धारित दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल के अनुपालन को सुविधाजनक बनाती है।
  - सेवाओं के मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता और प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

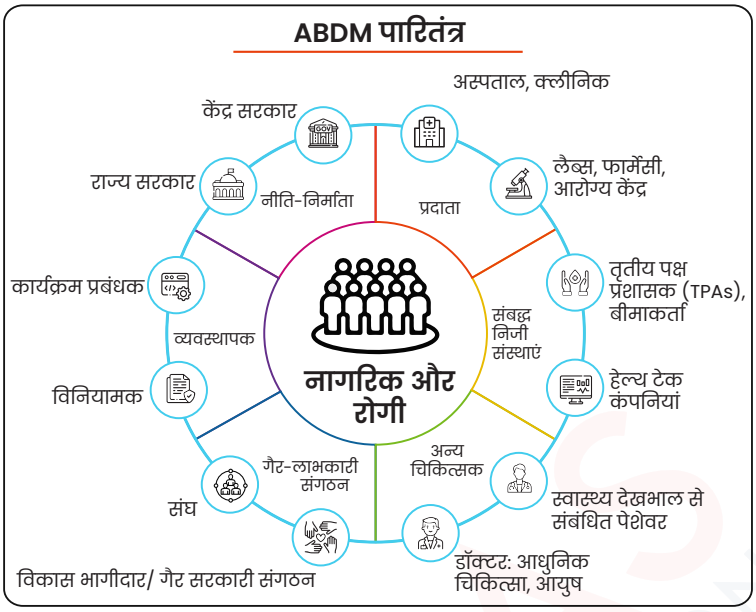

इस योजना से संबंधित प्रमुख चुनौतियां

- चिकित्सा डेटा के डिजिटलीकरण की **लागत बहुत अधिक है।**
- **डिजिटल विभाजन और अशिक्षा** के कारण मिशन को लागू करने में कठिनाई आती है।
- **व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा और गोपनीयता** से जुड़ी हुई चिंताएं बनी हुई है।
- **प्रयासों में दोहरापन: स्वास्थ्य सेवा, राज्य सूची का एक विषय है।** कई राज्य योजनाओं व पहल का उद्देश्य ABDM के समान होता है।
- **राज्यों के बीच उचित समन्वय नहीं:** इस वजह से डेटा माइग्रेशन व अंतर-राज्य स्थानांतरण में कई त्रुटियों और कमियों का सामना करना पड़ता है।

इस योजना की प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए डेटा सुरक्षा, डिजिटल कौशल को मजबूत करने, चिकित्सा डेटा को मानकीकृत करने और निजी क्षेत्रक की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
A.I.T.S
GS PRELIMS TEST SERIES 2024
ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम - 2024
कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इनोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली
30 टेस्ट
5 फंडामेंटल टेस्ट | 15 एप्लाइड टेस्ट
10 फुल लेंथ टेस्ट
ENGLISH MEDIUM 2024: 28 JANUARY
हिन्दी माध्यम 2024: 28 जनवरी
ENGLISH MEDIUM 2025: 21 JANUARY
हिन्दी माध्यम 2025: 4 फरवरी
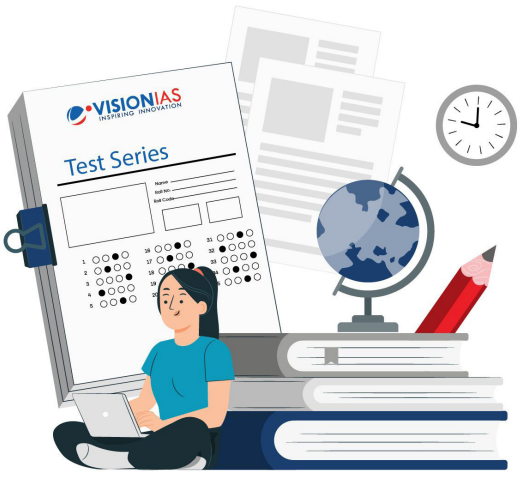

1.4 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS)

1.4.1 नवप्रवर्तन, एकीकरण और सततता के लिए शहरी निवेश 2.0 {City Investments to Innovate, Integrate and Sustain 2.0 (CITIIS 2.0)}

हालिया संदर्भ

सरकार ने **सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन (CITIIS)** परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना के उद्देश्य:** कुछ चुने हुए शहरों में **नवीन और टिकाऊ शहरी अवसंरचना परियोजनाओं का विकास और उनका कार्यान्वयन** करना।
- **योजना को बाहरी सहायता:** इस योजना के लिए फ्रांस और जर्मनी ऋण सहायता दे रहे हैं, जबकि यूरोपीय संघ तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा।
- **योजना का समन्वय करने वाली संस्था:** राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (NIUA)।
- **योजना की अवधि:** वर्ष 2027 तक।

अन्य उद्देश्य

- एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ **चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) को बढ़ावा देकर** जलवायु कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ाना।

प्रमुख विशेषताएं

- **परिचय:** CITIIS 1.0 को 2018 में **स्मार्ट सिटी के उप-घटक** के रूप में आरंभ किया गया था। इसके तहत देश के 12 शहरों को इस परियोजना के तहत सहायता दी गई है।
- **योजना में शामिल होने हेतु शहरों के लिए पात्रता:** CITIIS 2.0 के तहत प्रतिस्पर्धा के आधार पर 18 शहर चुने जाएंगे। भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुने गए **सभी 100 स्मार्ट शहर इस योजना में** आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- **CITIIS 2.0 के घटक**
  - **घटक 1:** एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु **शहर-स्तरीय कार्रवाई** करना।
  - **घटक 2:** जलवायु कार्रवाई के लिए जलवायु गवर्नेंस तंत्र को मजबूत करने हेतु **राज्य स्तरीय कार्रवाई** करना। **इसके लिए** डेटा के आधार पर योजना बनाई जाएगी और क्षमता निर्माण किया जाएगा।
  - **घटक 3:** संस्थाओं को मजबूत करने, जलवायु के विषयों पर अनुसंधान करने, ज्ञान प्राप्ति और वितरण तथा क्षमता निर्माण पर **राष्ट्रीय स्तर की कार्रवाई करना।**

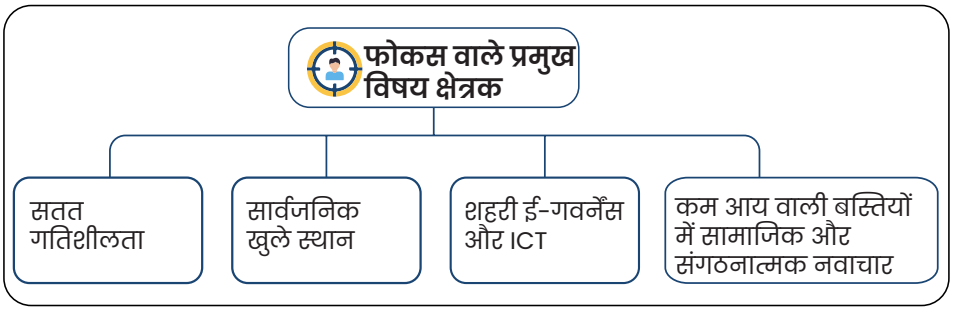

1.4.2 दीन दयाल अंत्योदय योजना- शहरी (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) {DEEN DAYAL ANTYODAYA YOJANA- URBAN (NATIONAL URBAN LIVELIHOODS MISSION): DAY-NULM}

हालिया संदर्भ

- **स्वयं सहायता समूहों (SHGs)** के अनुभवी सदस्यों के बीच महिला के नेतृत्व में उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए **DAY-NULM और सिडबी (SIDBI) ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर** किए।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **योजना के उद्देश्य :** सतत आधार पर शहरी निर्धन परिवारों की गरीबी और संकटों (वल्नेरेबिलिटी) को कम करना।
- **योजना के लाभार्थी:** शहरी गरीब समुदाय के व्यक्ति/ समूह/ स्वयं सहायता समूह (SHGs)।
- **योजना के तहत कवर किए गए क्षेत्र:** जिला मुख्यालय वाले सभी शहर तथा 2011 की जनगणना के आधार पर 1,00,000 या उससे अधिक की आबादी वाले अन्य सभी शहर।

अन्य उद्देश्य

- शहरी गरीबों को लाभकारी **स्व-रोजगार तथा वेतन वाले कुशल रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में सक्षम बनाना।** इसके लिए गरीबों के लिए जमीनी स्तर पर मजबूत या उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी।

प्रमुख विशेषताएं

- **सामाजिक लामबंदी:** प्रत्येक **शहरी गरीब परिवार से कम-से-कम एक सदस्य, विशेषकर एक महिला** को समयबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह (SHG) नेटवर्क के तहत लाया जाना चाहिए।
- **SHGs सदस्यता:** योजना के तहत वित्त पोषण सहायता प्राप्त करने के लिए **SHG के कम-से-कम 70% सदस्य शहरी** गरीब होने चाहिए। **SHGs में 10-20 सदस्य हो सकते हैं।**
  - **आदिवासी बाहुल्य पहाड़ी इलाकों/ क्षेत्रों में 10 से कम सदस्य मिलकर भी** SHG गठित कर सकते हैं।
  - **दिव्यांगजनों के मामले** में न्यूनतम 5 सदस्य मिलकर भी स्व-सहायता समूह गठित कर सकते हैं।
- **वित्त-पोषण/ वित्तीय सहायता: व्यक्तिगत उद्यमों के साथ-साथ** समूह के नेतृत्व वाले उद्यमों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **स्वयं-सहायता समूह - बैंक लिंकेज:**
  - **सभी स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए 7% से अधिक की ब्याज दर** से ब्याज सब्सिडी दी जाती है।

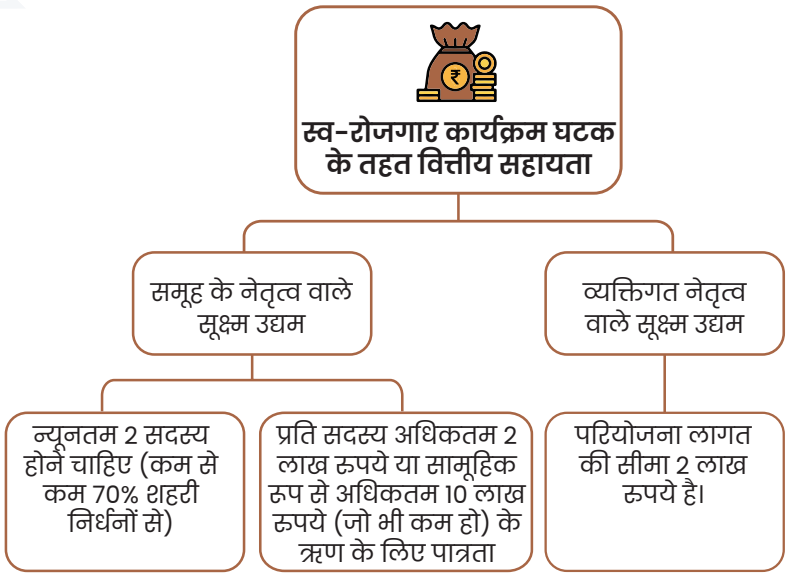

- सभी शहरों में समय पर ऋण चुकाने वाले सभी महिला स्वयं सहायता समूहों को **अतिरिक्त 3% ब्याज छूट** दी जाती है।

- **शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता:** इसमें **कौशल, सूक्ष्म उद्यम विकास,** ऋण प्राप्ति में सहायता, प्रो-वेंडिंग शहरी नियोजन, कमजोर वर्गों (महिलाओं, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों, आदि) के लिए सामाजिक सुरक्षा के विकल्प शामिल हैं।
  - इसके तहत शहरी बेघर लोगों को **सभी मौसम में रहने योग्य 24x7 स्थायी आश्रय** भी प्रदान किए जाते हैं।
- **नवोन्मेषी और विशेष परियोजनाओं को बढ़ावा देना:** यह केंद्र प्रशासित पहल है। इसमें किसी राज्य को अपनी तरफ से प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। इस पहल के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
  - **सार्वजनिक, निजी और सामुदायिक भागीदारी (P-P-C-P)** के माध्यम से शहरी आजीविका के लिए संधारणीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।
  - वृहत (स्केलेबल) पहलों के माध्यम से **शहरी गरीबी की स्थिति से निपटने में प्रभावी तरीका** प्रस्तुत करना या **विशिष्ट प्रभाव** डालना।
- **निगरानी और मूल्यांकन:** राज्य स्तर पर राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (SMMU) और ULBs के स्तर पर सिटी मिशन प्रबंधन इकाई (CMMU) को निगरानी का कार्य सौंपा गया है।

प्रमुख पहलें

- **UNDP- DAY-NULM साझेदारी:** विभिन्न तथ्यों एवं स्थितियों को ध्यान में रखकर उद्यमिता के क्षेत्र में **उपयुक्त करियर विकल्प** चुनने हेतु महिलाओं को सशक्त बनाना।
  - इस परियोजना की अवधि 3 वर्ष है। हालांकि, इसे 2025 में भी जारी रखा जा सकता है।
  - शुरुआती चरण में इस साझेदारी के तहत **आठ शहरों** को कवर किया जाएगा।
- **निपुण/ NIPUN:** निपुण से आशय है; "नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स (NIPUN)।" इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

भविष्य की कौशल मांग को ध्यान में रखकर श्रम शक्ति तैयार करना

"निर्माण श्रमिकों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल (NIPUN)" शुरू की गई है।

निर्माण क्षेत्रक के 1 लाख से अधिक श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना

ऑनसाइट प्रशिक्षण और नवीन कौशल

रोजगार के बेहतर अवसर और उच्च वेतन

विदेशों में प्लेसमेंट या रोजगार के अवसर

- **PaiSA पोर्टल:** यह DAY-NULM के तहत लाभार्थियों को **बैंक ऋण पर ब्याज छूट** दिलाने के लिए एक केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म है।
  - यहां PaiSA से आशय है: **पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस।**

योजना से जुड़ी मुख्य चुनौतियां

- **कई लाभार्थी बीच में ही प्रशिक्षण कार्यक्रम छोड़ देते हैं।**
- शहरी गरीबों पर **विश्वसनीय आंकड़ों की कमी है।**
- लोगों को रोजगार के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त **सॉफ्ट स्किल** की आवश्यकता है, लेकिन इस पहल में इस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है।

इस योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, **प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने, शहरी गरीबों पर रियल टाइम डेटा और सॉफ्ट स्किल्स विकसित करने** पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

1.4.3 प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना {PM Street Vendor's Atma Nirbhar Nidhi (PM SVANidhi) Scheme}

हालिया संदर्भ

हाल ही में, पी.एम. स्वनिधि योजना ने **50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स** को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य हासिल किया है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** यह **'केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना' है।**
- **योजना का उद्देश्य :** स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती दर पर कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना ताकि वे कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित अपनी आजीविका को फिर से शुरू कर सकें।
- **योजना के लाभार्थी: शहरी क्षेत्रों और आस-पास के अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों** के स्ट्रीट वेंडर्स / हॉकर्स।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)।

अन्य उद्देश्य

- इसके तहत बिना कुछ गारंटी रखे (कोलैटरल फ्री) **1 वर्ष** की अवधि के लिए **10,000 रुपये** तक की कार्यशील पूंजी (Working capital) के रूप में ऋण दिया जाता है। **इस ऋण का समय पर पुनर्भुगतान** करने पर ऋण की दूसरी किस्त के रूप में **20,000 रुपये** तथा तीसरी किस्त के रूप में **50,000 रुपये** के ऋण भी प्रदान किए जाते हैं।
- ऋण के **नियमित पुनर्भुगतान** को प्रोत्साहित करना और **डिजिटल लेन-देन करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **परिचय/ पृष्ठभूमि:** यह शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए **सूक्ष्म-ऋण (Micro-Credit)** योजना है। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को उनके **व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए** कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है।
- **लाभार्थियों की पहचान:** राज्य/ शहरी स्थानीय निकाय इस योजना के अंतर्गत पात्र स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान करने और नए आवेदन (लाभार्थी) जुटाने के लिए जिम्मेदार हैं।
- **योजना हेतु पात्र वेंडर्स की पहचान के लिए मानदंड:**
  - **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs)** द्वारा जारी किए गए **वेंडिंग सर्टिफिकेट/ पहचान-पत्र वाले स्ट्रीट वेंडर्स**

पी.एम. स्वनिधि योजना के जरिए स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाना

- 1 वर्ष की अवधि के लिए **कार्यशील पूंजी** हेतु ऋण दिया जाता है।
- देश भर के शहरी स्थानीय निकायों को योजना में शामिल किया गया है।
- **ऋण का समय पर/ शीघ्र भुगतान** किए जाने पर आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में **7 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सब्सिडी** प्रदान की जाती है।
- पहले ऋण के समय पर/ शीघ्र पुनर्भुगतान पर लाभार्थी **अधिक राशि के ऋण के लिए पात्र** हो जाता है।
- डिजिटल लेन-देन करने पर 100 रुपये तक के मासिक कैश-बैक के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन मिलता है।

  - ऐसे वेंडर्स, जिन्हे सर्वेक्षण में चिन्हित किया गया है, परंतु उन्हें वेंडिंग प्रमाण-पत्र/ पहचान-पत्र जारी नहीं किया गया है।
  - ऐसे वेंडर्स, जिनका नाम **ULBs द्वारा किए गए सर्वेक्षण की सूची** में नहीं है या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद वेंडिंग कार्य शुरू किया है। ऐसे वेंडर्स को ULBs/ टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) द्वारा इसके प्रमाण के रूप में **अनुशंसा-पत्र (LoR) जारी किया गया हो।**

- **ऐसे वेंडर्स जो आस-पास के विकास क्षेत्र/ पेरी-अर्बन/ ग्रामीण क्षेत्रों में वेंडिंग कार्य करते हैं** और ULBs की भौगोलिक सीमा में आते हैं तथा उन्हें ULB/ TVC द्वारा इस आशय हेतु अनुशंसा-पत्र जारी किया गया है।

- **योजना के लिए पात्र राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश:** यह योजना केवल उन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने **स्ट्रीट वेंडर्स (जीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014** के तहत नियमों को अधिसूचित किया है।
- **कार्यान्वयन अवधि:** इस योजना को **दिसंबर 2024** तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
- **क्रेडिट गारंटी:** इस योजना में स्वीकृत ऋणों के लिए **क्रेडिट गारंटी कवर का प्रावधान** किया गया है। इसे **सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE)** द्वारा प्रशासित किया जाता है।

प्रमुख पहलें

- **स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम:**
  - **इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स** के समग्र विकास और सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए **सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ** प्रदान करना है।
  - **भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)** इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन भागीदार है।

योजना से जुड़ी मुख्य समस्याएं

- कुछ नगरपालिकाओं द्वारा **अनुशंसा पत्र (LoR) जारी करने में विलंब किया जाता है।**
- कई वेंडर्स के **मोबाइल नंबर उनके आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं।**
- **कुछ ऋणदाता संस्थान वेंडर्स को ऋण देने से पहले उनका सिबिल (CIBIL) स्कोर** मांगते/ देखते हैं।
  - CIBIL स्कोर ऋण मांगने वाले व्यक्ति का क्रेडिट हिस्ट्री, रेटिंग और रिपोर्ट होता है। यह स्कोर तीन अंकों (न्यूमेरिक) का होता है।
- **ऋण-अस्वीकृति की उच्च दर:** संसदीय स्थायी समिति के अनुसार, लगभग 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत ऋण आवेदन अलग-अलग कारण बताकर वापस या अस्वीकार कर दिए जाते हैं।

योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

- ऋण आवेदन पर अंतिम निर्णय लेने के लिए **एक समय सीमा तय की जानी चाहिए,**
- योजना के तहत ऋण प्राप्त करने हेतु कम **डाक्यूमेंट्स की मांग की जानी चाहिए**, और
- **मोबाइल नंबर को आधार से लिंक** करना चाहिए।

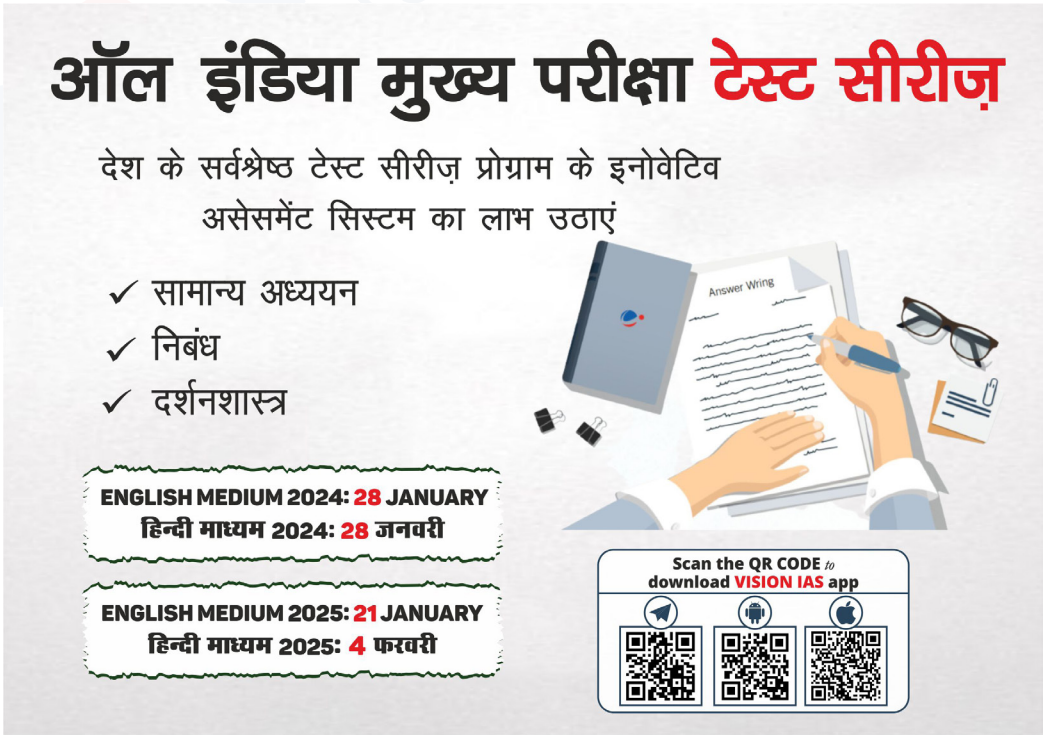

1.4.4 स्वच्छ भारत मिशन- शहरी 2.0 {Swachh Bharat Mission Urban 2.0 (SBM-Urban 2.0)}

हालिया संदर्भ

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने SBM-U 2.0 के तत्वावधान में एक मेगा अभियान **"मेरी LiFE, मेरा स्वच्छ शहर"** की शुरुआत की है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य :** इसका उद्देश्य 'कचरा मुक्त शहर' (GFCs) का निर्माण करना है।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना है।**
- **योजना के तहत कवरेज:** योजना के तहत सभी वैधानिक नगर शामिल किए गए हैं।
- **योजना की अवधि:** वर्ष 2026 तक

अन्य उद्देश्य

- **इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं;**
  - सार्वजनिक स्थानों पर **स्वच्छता (क्लीननेस) और साफ-सफाई (हाइजीन)** सुनिश्चित करना;
  - **वायु प्रदूषण को कम करना,**
  - **समग्र स्वच्छता (सैनिटेशन) सुनिश्चित करना,**
  - **उपयोग किए गए पानी** को प्रवाहित करने से पहले उसका **उपचार करना,**
  - **क्षमता निर्माण करना,**
  - **जागरूकता का प्रसार करना तथा**
  - **जन आंदोलन** चलाना।

प्रमुख विशेषताएं

- **परिचय:** SBM-U योजना को 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य है भारत को खुले में शौच से मुक्त या Open Defecation Free (ODF) बनाना। यह योजना पांच वर्ष (2014-2019) के लिए शुरू की गई थी।
  - **ODF से आशय ऐसी स्थिति से है जब एक भी व्यक्ति खुले में शौच करते हुए नहीं पाया जाए।**
- **संभावित परिणाम:**
  - **कचरा मुक्त शहर (GFC): वैधानिक नगरों के लिए स्टार रेटिंग:** सभी वैधानिक नगर कम-से-कम **3-स्टार "कचरा मुक्त" रेटिंग** या **इससे अधिक की रेटिंग** से प्रमाणित हों।
  - **ODF+: सभी वैधानिक नगर** कम-से-कम ODF+ का दर्जा प्राप्त कर लें।

शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

इसके तहत निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करने का लक्ष्य रखा गया है:

- मल-जल का संपूर्ण प्रबंधन करना एवं अपशिष्ट जल का उपचार करना,
- कचरे को उनके प्रकार के आधार पर स्रोत पर ही अलग-अलग करना,
- सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध,
- निर्माण एवं विध्वंस स्थलों से निकलने वाले मलबे का प्रभावी प्रबंधन करके वायु प्रदूषण को कम करना,
- सभी मौजूदा डंपसाइटों का जैव-उपचार सुनिश्चित करना।

- ODF+ के तहत खुले में शौच से मुक्त होने के लक्ष्य की प्राप्ति के साथ-साथ शौचालयों में पानी की उपलब्धता, उसका रख-रखाव और साफ़-सफाई सुनिश्चित करना है।

- **ODF++:** इसका लक्ष्य **1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक नगरों** को कम-से-कम ODF++ बनाना है।
  - ODF++ से आशय शौचालयों के मल-जल और सेप्टेज का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
- **वाटर+:** इसका लक्ष्य 1 लाख से कम आबादी वाले सभी **वैधानिक नगरों में से कम-से-कम 50%** नगरों को वाटर+ बनाना है।
  - **वाटर+** का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी अनुपचारित अपशिष्ट जल खुले वातावरण या जल निकायों में प्रवाहित नहीं किया जाए।

- **GFC-स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल:** सरकार अब ULBs द्वारा न्यूनतम 1-स्टार रेटिंग प्रमाणन प्राप्त करने पर ही धनराशि जारी करती है।
- **उद्यमशीलता को बढ़ावा देना:** निजी उद्यमियों द्वारा स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में स्थानीय रूप से नवप्रवर्तित, लागत प्रभावी समाधान और व्यवसाय मॉडल को अपनाना।
- **डिजिटल सक्षमता:**
  - संस्थागत और व्यक्तिगत क्षमताओं के निर्माण के लिए **ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को मजबूत करना,**
  - स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में **कौशल विकास** को बढ़ावा देना,
  - **सूचना और संचार-प्रौद्योगिकी (ICT) सक्षम गवर्नेंस** प्रदान करना।
- **शहरी-ग्रामीण समन्वय:** साझा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना करके निकटवर्ती शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को दक्षता-पूर्वक पूरा करने के लिए **अवसंरचनाओं के क्लस्टर** का विकास करना।
- **चैलेंज फंड:** 10 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले शहरों को स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सेवा स्तरीय बेंचमार्क को पूरा करने के लिए **5 वर्षों** में 13,029 करोड़ रुपये का चैलेंज फंड प्रदान किया जाएगा।

महत्वपूर्ण पहलें

- **स्वच्छ सर्वेक्षण:** यह भारतीय शहरों और नगरों में **स्वच्छता (क्लीननेस), साफ-सफाई (हाइजीन) और सैनिटेशन का** आकलन करने वाला एक वार्षिक सर्वेक्षण है। यह अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है।
  - **भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)** इसका कार्यान्वयन भागीदार है।
- **मेरी LiFE, मेरा स्वच्छ शहर' अभियान का उद्देश्य मिशन LiFE** के बारे में जागरूकता फैलाने और अपशिष्ट उत्पादन को कम करने के लिए नागरिकों के व्यवहार में बदलाव लाना है।
- **GFC के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार फ्रेमवर्क:** इसका लक्ष्य GFC के लिए चल रहे जन आंदोलन को मजबूत करना है।

योजना से संबंधित प्रमुख मुद्दे/ समस्याएं

- पाइप से जलापूर्ति का अभाव है।
- शौचालय की उप-संरचनाओं का अपर्याप्त निर्माण।
- शौचालय के उपयोग को लेकर लोगों में गलत धारणा।

योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए धन के उपयोग की प्रभावी निगरानी; अवसंरचना की गुणवत्ता में सुधार; **योजना के बारे में सोशल मीडिया, टीवी विज्ञापनों के माध्यम से जागरूकता का प्रसार** करने की आवश्यकता है।

1.4.5 प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) {PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA (URBAN)/ PMAY(U)}

हालिया संदर्भ

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार यह एक मांग आधारित योजना है। इसमें राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मांग के आकलन के आधार पर आवास की कमी का निर्धारण किया जाता है। अतः **केंद्र सरकार ने घरों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।**

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
  - हालांकि, इस योजना का क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) वर्टिकल **केंद्रीय क्षेत्रक की योजना** के तहत आता है।
- **योजना का उद्देश्य:** इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक **"सभी पात्र परिवारों/ लाभार्थियों को आवास"** उपलब्ध कराना है।
- **योजना में परिवार की परिभाषा:** इस योजना के तहत एक परिवार में **पति, पत्नी और उनके अविवाहित** बच्चे शामिल होते हैं।
- **योजना के लिए पात्र नहीं:** इस योजना का लाभ उन परिवारों को नहीं मिलेगा जिनके पास **भारत के किसी भी हिस्से में पक्का मकान हो।**

अन्य उद्देश्य

- इस योजना के तहत **सभी पात्र परिवारों/ लाभार्थियों** को सभी मौसम में टिकाऊ **(बारहमासी) पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता** प्रदान की जाती है।

प्रमुख विशेषताएं

- **लाभार्थी:**
  - **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS):** EWS के तहत आने वाले ऐसे सभी परिवार जिनकी वार्षिक घरेलू आय 3 लाख रुपये या इससे कम है, वे सभी चारों वर्टिकल्स के लिए पात्र होंगे।
  - **निम्न आय वर्ग (LIG):** LIG के तहत आने वाले ऐसे सभी परिवार जिनकी वार्षिक घरेलू आय 3-6 लाख रुपये के बीच है। वे केवल क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) योजना के लिए पात्र होंगे।
  - **मध्यम आय समूह (MIG):** MIG के तहत आने वाले ऐसे सभी परिवार जिनकी वार्षिक घरेलू आय 6-18 लाख रुपये के बीच है, वे केवल क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) योजना के लिए पात्र होंगे।
- **लाभार्थियों की पहचान:** लाभार्थियों के दोहराव से बचने के लिए **आधार/ आधार वर्चुअल ID** का उपयोग करके उनका सत्यापन किया जाता है।
- **आवासों की गुणवत्ता**

लाभार्थी इस योजना के केवल एक ही वर्टिकल के तहत लाभ उठा सकते हैं

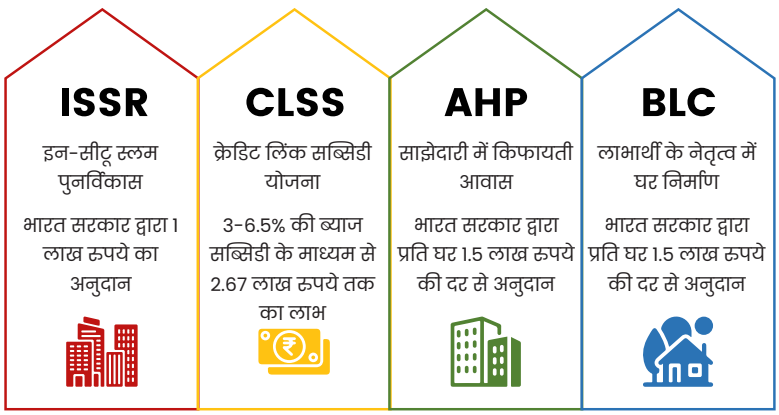

ऑनलाइन | दिल्ली | अहमदाबाद | भोपाल | चंडीगढ़ | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची | सीकर

- **घरों में बुनियादी सुविधाएं: जल , स्वच्छता, सीवरेज, सड़क, विद्युत** जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- **सुरक्षा:** घरों को भूकंप, बाढ़, चक्रवात आदि को सहने लायक बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से युक्त होना चाहिए।
  - मकानों को **राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) और भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) संहिता** के मकानों से संबंधित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

- **वित्त पोषण तंत्र:** इस मिशन के तहत **40% व्यय सरकार द्वारा** तथा 60% व्यय लाभार्थी सहित **निजी निवेशकों** द्वारा किया गया है।
- **निगरानी और मूल्यांकन/ जांच:**
  - **तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी (TPQM):** आवास निर्माण में बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए **राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेश द्वारा एजेंसियां** नियुक्त की जाती हैं। इसके लिए **केंद्र सरकार साझा** आधार पर **वित्तीय सहायता प्रदान करती है।**
  - **सोशल ऑडिट: BLC, AHP और ISSR** वर्टिकल्स के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का **5-10% (यादृच्छिक यानी रैंडम सैंपलिंग तकनीक का उपयोग करके)** का सोशल ऑडिट अनिवार्य है। यह ऑडिट राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा चयनित एजेंसियों द्वारा किया जाता है।
- **शिकायत निवारण तंत्र: केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS)** का उपयोग PMAY-U सहित सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर शिकायत दर्ज करने के लिए किया जा सकता है।
- **अन्य ग्रामीण योजनाओं पर प्रभाव:**
  - **PMAY (G) की स्थायी प्रतीक्षा सूची** में शामिल लाभार्थियों को PMAY (G) या PMAY (U) के तहत **घर चुनने की सुविधा होगी।**
  - सभी **मौजूदा और भविष्य में शुरू की जाने वाली ग्रामीण योजनाओं के लाभ से किसी भी लाभार्थी को वंचित नहीं किया जाएगा।**
- **अन्य सुविधाएं**
  - **महिला सशक्तिकरण:** आवास का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाता है। केवल उन मामलों में **जहां परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं हो, घर पुरुष सदस्य के नाम पर हो सकता है।**
  - **'अवसंरचना का दर्जा':** किफायती आवास क्षेत्रक को अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया गया है।
  - **योजना के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) घटक का कार्यान्वयन: इसे राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) और आवास शहरी विकास निगम (HUDCO)** द्वारा लागू किया जाएगा।
- **योजना की अवधि:** प्रारंभ में, यह मिशन 31 मार्च, 2022 तक अर्थात सात साल की अवधि के लिए शुरू किया गया था। हालांकि, अब इस मिशन को 31 मार्च, 2022 तक स्वीकृत आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) को छोड़कर अन्य सभी वर्टिकल के साथ 31 दिसंबर, 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

योजना के तहत शुरू की गई प्रमुख पहलें

- **वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती - भारत (GHTC-इंडिया)**
  - **इसका उद्देश्य टिकाऊ, पर्यावरण-अनुकूल और आपदा-रोधी आवास** के निर्माण के लिए नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों को मुख्यधारा में शामिल करना है।
  - **इसके तहत अगरतला, चेन्नई, इंदौर, लखनऊ, राजकोट और रांची** (प्रत्येक के लिए एक) में 6 लाइट हाउस परियोजनाओं (LHP) को मंजूरी दी गई है।
  - LHP एक मॉडल आवास परियोजना है। इसके तहत क्षेत्र की **भू-जलवायु और अन्य आपदा स्थितियों से निपटने के लिए उपयुक्त शॉर्टलिस्टेड वैकल्पिक तकनीक** का उपयोग करके लगभग 1,000 घर बनाए जाते हैं।
- **CLSS आवास पोर्टल (CLAP):**
  - यह पोर्टल लाभार्थियों के **आवेदनों की प्रोसेसिंग** और प्रदान की जाने वाली **सब्सिडी की स्थिति का पता** करने की सुविधा प्रदान करता है।
  - **CLSS ट्रैकर को PMAY(U) मोबाइल ऐप और उमंग (UMANG) प्लेटफार्म** में भी शामिल किया गया है।

योजना से संबंधित प्रमुख मुद्दे/ समस्याएं

संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार:

- **आवासों की मांग के आकलन में अंतर:** चूंकि यह एक मांग आधारित योजना है, इसलिए **कई बेघर लोग** पात्रता संबंधी शर्तों को पूरा नहीं करने या न्यूनतम भूमि की आवश्यकता संबंधी शर्त पूरी न होने के कारण **इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए होंगे।**
- **बुनियादी सुविधाओं का अभाव:** बनाए गए घरों में बुनियादी सेवाओं की कमी के कारण लगभग 5.6 लाख घर लाभार्थियों को प्रदान नहीं किए जा सके हैं।
- **ISSR वर्टिकल के तहत कम संख्या में घरों को मंजूरी दी गई है।** इस वर्टिकल के तहत झुग्गीवासियों का पुनर्वास किया जाता है।
- **योजना के क्रियान्वयन में देरी होने के साथ-साथ लाभार्थियों को घर के निर्माण में उच्च लागत का बोझ वहन करना पड़ता है।**

योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसका प्रभाव मूल्यांकन करने, घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए **समय-सीमा का सख्ती से पालन** करने, **BLC वर्टिकल पर कम जोर देने की आवश्यकता है।**

ENGLISH MEDIUM
15 FEB | 5 PM

हिन्दी माध्यम
23 FEB | 5 PM

- संदेह समाधान सत्र एवं मार्गदर्शन
- अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, लाइवमिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, योजना, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इंडिया ईयर बुक, RSTV आदि का समग्र कवरेज।
- प्रारंभिक परीक्षा हेतु विशिष्ट लक्ष्योन्मुखी सामग्री।
- लाइव और ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाएं जो दूरस्थ अभ्यार्थियों के लिए सहायक होंगी जो क्लास टाइमिंग मे लचीलापन चाहते हैं।

1 वर्ष का
करेंट अफेयर्स
प्रीलिम्स 2023 के लिए मात्र 60 घंटे में

1.5 जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti)

1.5.1 अटल भूजल योजना (अटल जल) {Atal Bhujal Yojana (Atal Jal)}

हालिया संदर्भ

हाल ही में, अटल भूजल योजना ने **गोल्ड कैटेगरी में स्कोच पुरस्कार, 2023** प्राप्त किया है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक** योजना है।
- **योजना का उद्देश्य:** भूजल प्रबंधन में सुधार करना।
- **योजना की अवधि: 2020-21 से 2024-25** तक।
- **वित्त-पोषण:** इसके कुल वित्त-पोषण का **50 प्रतिशत विश्व बैंक से ऋण** प्राप्त करके और शेष **50 प्रतिशत बजटीय सहायता** के जरिए किया जाएगा।

अन्य उद्देश्य

- **सात राज्यों** में पहचाने गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में **सामुदायिक भागीदारी के जरिए भूजल** प्रबंधन करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **लक्ष्य:** अटल भूजल योजना का लक्ष्य **समुदाय के नेतृत्व में भूजल का सतत प्रबंधन करके दिखलाना है ताकि इसे आगे व्यापक स्तर पर ले जाया जा सके।**
- **कवरेज:** इसमें सात राज्यों को शामिल किया गया है। ये राज्य हैं: **गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश।**
- **राज्यों को प्रोत्साहन:** योजना के तहत धनराशि, अन्य विषयों के साथ-साथ पूर्व-निर्धारित संकेतकों की उपलब्धियों के आधार पर दी जाती है।
- **स्थानीय स्तर पर शासन: इसमें समुदायों** की सक्रिय भागीदारी होगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में **जल सुरक्षा संबंधी योजनाएं** (WSPs) शुरू और लागू की जा रही हैं।
- **महिला सशक्तीकरण:** यह योजना **महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी** सुनिश्चित करती है।
- **अन्य प्रावधान:** सतत भूजल प्रबंधन से **संबंधित सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) संबंधी गतिविधियां संचालित** करना। साथ ही, इसमें संस्थागत सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता निर्माण का भी प्रावधान है।

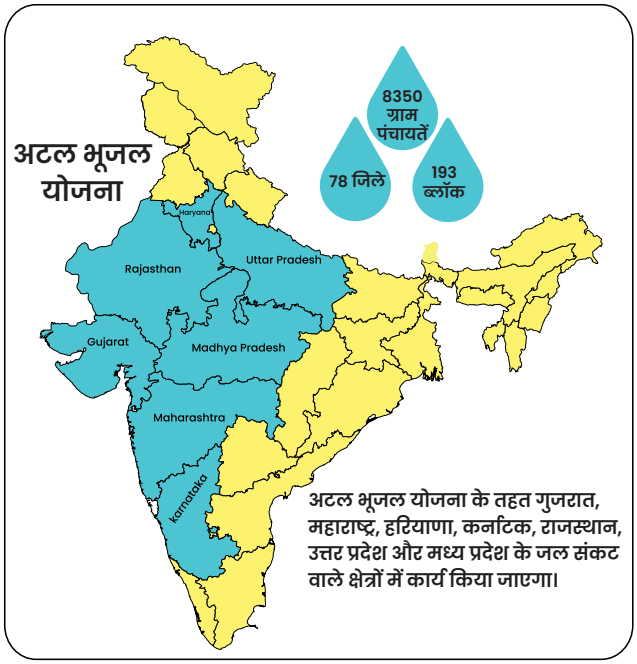

- **नोडल कार्यान्वयन एजेंसी: केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB)** इस योजना के लिए नोडल कार्यान्वयन एजेंसी होगी। CGWB **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग** का एक बहु-विषयक वैज्ञानिक संगठन है।
- **अपेक्षित लाभ:**
  - लक्षित क्षेत्रों में बेहतर **भूजल संधारणीयता** प्राप्त होगी।
  - **किसानों की आय दोगुनी** करने में मदद मिलेगी।
  - जल के विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग को बढ़ावा देने के लिए **व्यवहार में परिवर्तन** लाएगी।
- **योजना की प्रभावशीलता में सुधार हेतु पहलें**
  - हितधारकों द्वारा **डेटा संग्रह** के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं;
  - इसे **उपयोगकर्ताओं के लिए और अधिक अनुकूल बनाने हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS)** में संशोधन किया गया है;
  - **राष्ट्रीय कार्यक्रम निगरानी इकाई (NPMU) के अधिकारियों** द्वारा क्षेत्र के दौरे के साथ-साथ अलग-अलग स्तरों पर नियमित समीक्षा की जाएगी आदि।

योजना से संबंधित मुख्य समस्याएं

- राज्यों द्वारा **अपेक्षित लक्ष्य की तुलना में कम एकीकृत विकास** किया जा रहा है।
- ग्राम पंचायत **जल बजट निर्धारण में बाहर से आए हुए उस सतही जल की अनदेखी** करती है, जो नहरों के माध्यम से क्षेत्र में प्रवेश करता है, लेकिन इसका उद्गम गांव के क्षेत्राधिकार से बाहर होता है।
- सतही जल और भूजल के **बीच अंतर्निर्भरता** का अभाव पाया जाता है।
- **सामुदायिक** भागीदारी **बनाए रखना** एक जटिल कार्य है।

योजना की प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए **योजना के बारे में जागरूकता, उचित जल बजट, सतही जल और भूजल के बीच अंत:निर्भरता** को शामिल करने की आवश्यकता है।

UPSC पर्सनालिटी टेस्ट 2023 के लिए सफल सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं

पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम

सिविल सेवा परीक्षा 2023

हिंदी और अंग्रेजी माध्यम

प्रवेश प्रारम्भ

पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की विशेषताएं

प्री-DAF सेशन: इसमें आपको DAF में भरे जाने वाले एक-एक पॉइंट के बारे में बारीकी से समझाया जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि व्यक्तित्व के वांछित गुणों को दर्शाने वाली जानकारी को कैसे सावधानीपूर्वक DAF में भरा जाए।

मॉक इंटरव्यू सेशन: इंटरव्यू की तैयारी को और बेहतर बनाने तथा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सीनियर एक्सपर्ट्स एवं फैकल्टी मेंबर्स, भूतपूर्व ब्यूरोक्रेट्स एवं शिक्षाविदों के साथ मॉक इंटरव्यू सेशन आयोजित किए जाएंगे।

टॉपर्स और कार्यरत ब्यूरोक्रेट्स के साथ इंटरैक्शन: प्रश्नों के ठोस उत्तर, इंटरैक्टिव लर्निंग एवं टॉपर्स और कार्यरत ब्यूरोक्रेट्स के अनुभव से प्रेरणा लेने के लिए इंटरैक्टिव सेशन्स आयोजित किए जाएंगे।

DAF एनालिसिस सेशन: संभावित प्रश्नों एवं उनके उत्तरों के लिए सीनियर एक्सपर्ट्स और फैकल्टी मेंबर्स के साथ DAF को लेकर गहन विश्लेषण एवं चर्चा की जाएगी।

व्यक्तिगत मेंटरशिप और मार्गदर्शन: हमारे डेडिकेटेड सीनियर एक्सपर्ट इंटरव्यू की समग्र तैयारी, प्रबंधन तथा प्रदर्शन को प्रभावशाली बनाने में आपकी सहायता करेंगे।

प्रदर्शन का मूल्यांकन और फीडबैक: अपने मजबूत एवं सुधार की गुंजाइश वाले पक्षों की पहचान करने के साथ-साथ उनमें आगे और सुधार करने एवं उन्हें बेहतर बनाने के लिए पॉजिटिव फीडबैक दिया जाएगा।

एलोक्यूशन सेशन: इसमें डिस्कशन और पीयर लर्निंग की सहायता से कम्युनिकेशन स्किल का विकास करने तथा उसे बेहतर बनाने एवं व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास किया जाएगा।

करेंट अफेयर्स की कक्षाएं: करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक व्यापक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाएगा।

मॉक इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग: स्व-मूल्यांकन के लिए इंटरव्यू सेशन का वीडियो भी दिया जाएगा।

Scan QR CODE to watch How to Prepare for UPSC Personality Test

DAF एनालिसिस और मॉक इन्टरव्यू से संबंधित जानकारी के लिए सम्पर्क करें

7042413505, 9354559299

interview@visionias.in

अधिक जानकारी और रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें

1.5.2 जल जीवन मिशन (JJM): हर घर जल {Jal Jeevan Mission (JJM): Har Ghar Jal}

हालिया संदर्भ

जल जीवन मिशन (JJM) के तहत **13 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से पेयजल कनेक्शन देने का लक्ष्य हासिल** किया गया।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित** योजना है।
- **योजना के उद्देश्य: 'कोई भी न छूटे'**, इस प्रकार **2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल** से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
- **बच्चों पर विशेष ध्यान:** स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और आश्रमशालाओं में पाइप से जल की आपूर्ति करना।
- **निगरानी करना: एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (IMIS) और JJM-डैशबोर्ड** स्थापित किए गए हैं।

अन्य उद्देश्य

- **प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC)** प्रदान करना।
- **स्कूलों, आंगनबाड़ियों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों आदि में** कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना।
- **नकद, वस्तु और/या श्रम तथा स्वैच्छिक श्रम** (श्रमदान) में योगदान के माध्यम से स्थानीय समुदायों में **स्वैच्छिक स्वामित्व** को बढ़ावा देना।
- **सुरक्षित पेयजल के अलग-अलग पहलुओं और महत्त्व पर जागरूकता** को बढ़ावा देना।

मिशन की प्रमुख विशेषताओं पर एक नज़र

- **लक्ष्य: 'वॉश (WASH) के प्रति जागरूक गांव'** विकसित करना। इन गांवों में स्थानीय समुदाय सभी के लिए लंबी अवधि तक जल की आपूर्ति करने और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होंगे।
- **कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC):** FHTC से तात्पर्य जल उपलब्ध कराने वाले घरेलू नल कनेक्शन से है:
  - **पर्याप्त मात्रा में:** कम-से-कम 55 lpcd (लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन);
  - **निर्धारित गुणवत्ता में:** BIS:10500 मानक
  - **नियमित आधार पर:** लम्बे समय तक निरंतर आपूर्ति।
- **विकेंद्रीकृत:** JJM एक **मांग-संचालित और समुदाय-प्रबंधित जल आपूर्ति कार्यक्रम है।** यह दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा के लिए ग्राम कार्य योजना (VAP) का प्रावधान करता है।
  - **VAP अग्रलिखित पर केंद्रित है:** पेयजल स्रोत; ग्रे वॉटर का पुनः उपयोग; जलापूर्ति प्रणालियां; प्रचालन एवं रख-रखाव।
- **पानी समितियां (Paani Samitis):** पानी समितियां या ग्राम जल और स्वच्छता समितियां (VWSCs) **स्थानीय जल स्रोतों सहित गाँव की जल आपूर्ति प्रणाली के नियमित संचालन और रख-रखाव** के लिए उत्तरदायी हैं।
  - पानी समितियों में **न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होनी चाहिए और समाज के कमजोर वर्गों का भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व** होना चाहिए।

- **महिला सशक्तीकरण:** प्रत्येक गांव में कम-से-कम **पांच महिलाओं** को ग्रामीण स्तर पर जल की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु फील्ड टेस्ट किट्स (FTKs) का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
  - यह उन क्षेत्रों में **महिलाओं की क्षमता निर्माण** के लिए भी प्रावधान करता है, **जिन्हें पुरुष विशेष क्षेत्र** माना जाता है जैसे कि राजमिस्त्री, मैकेनिक, प्लंबर आदि।
- **जल गुणवत्ता निरीक्षण और निगरानी:** यह योजना जल स्रोतों और वितरण केंद्रों पर जल के नमूनों की **नियमित जांच को बढ़ावा** देती है।
  - राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लोगों को किफायती दर पर **जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं तक पहुंच उपलब्ध करवाई** गई है।
- **फंड्स जारी करना:** राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदर्शन आधारित अनुदान **कार्यक्षमता मूल्यांकन सर्वेक्षण** के आधार पर प्रदान किया जाता है।
- **रोजगार के अवसर:** JJM का लक्ष्य विविध भूमिकाओं में कौशल विकसित करना है। जैसे- **राजमिस्त्री, मैकेनिक, प्लंबर, पंप ऑपरेटर, तकनीशियन, जनोपयोगी सेवा प्रबंधक आदि।**
- **मुख्य संसाधन केंद्र (KRCs):** क्षमता बढ़ाने के लिए अलग-अलग **सरकारी और गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थानों, थिंक टैंक्स एवं प्रशिक्षण संस्थानों को KRCs** के रूप में शामिल किया गया है।
- **राष्ट्रीय वॉश (WASH) विशेषज्ञ (NWE):** राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र NWEs को सूचीबद्ध करने तथा नियोजित करने के लिए उत्तरदायी है। NWEs का कार्य राज्यों को **जमीनी स्तर पर सत्यापन और तकनीकी सहायता प्रदान करना है।**
  - **JJM के कार्यान्वयन की स्थिति** के आधार पर, **NWEs गांवों को स्टार रेटिंग और राज्यों को फीडबैक प्रदान करते** हैं।
- **JE-AES से प्रभावित जिलों पर विशेष ध्यान देना:** हर घर में नल से पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जापानी एन्सेफलाइटिस (JE) और एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (AES) से प्रभावित जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है।
- **अन्य फोकस क्षेत्र:** इसके अतिरिक्त **आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, लवणता, भारी धातु** जैसे प्राकृतिक संदूषकों वाले भूजल क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।
- **गैर-राजस्व जल को कम करना:** गैर-राजस्व जल को कम करने के लिए SCADA (पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण) सिस्टम्स तथा सेंसर्स के साथ **जिला मीटरिंग क्षेत्रों (DMA) का कार्यान्वयन करने की मांग की जा रही है।**
  - **गैर-राजस्व जल** वह जल है, जिसे पंप के जरिए भूमि से बाहर निकाला जाता है और फिर जिसकी खपत हो जाती है या जिसका कोई हिसाब नहीं होता है।
- **पारदर्शिता एवं जवाबदेही:**

उन्नत निगरानी

- **JJM-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (JJM-WQMIS):** इसका कार्य रियल टाइम में, JJM के तहत भौतिक और वित्तीय प्रगति को रिकॉर्ड करना है।
- रियल टाइम आधार पर **जल आपूर्ति के मापन एवं निगरानी के लिए सेंसर-आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) समाधान।**
- सभी लेन-देन सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के जरिए किए जाते हैं।

उन्नत वितरण

- JJM के तहत बनाई गई सभी परिसंपत्तियों की **जियो-टैगिंग** की जाती है।
- **'घर के मुखिया' के आधार नंबर के साथ नल कनेक्शन को जोड़ा** जाता है।
- कार्य को आसान बनाने हेतु सभी हितधारकों के उपयोग के लिए **'मोबाइल ऐप'** विकसित किए गए हैं।
- JJM के तहत संपन्न किए जाने वाले **कार्यों** और उपयोग की जाने वाली **सामग्रियों की गुणवत्ता** सुनिश्चित करने के लिए **थर्ड पार्टी जांच (TPI) को अनिवार्य** किया गया है।

- **15वें वित्त आयोग द्वारा वित्त-पोषण (FFC): FFC ने जल आपूर्ति और स्वच्छता को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप** में मान्यता दी है। साथ ही, पंचायती राज संस्थाओं को **2021-22 से 2025-26 तक के लिए 2.36 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।**
  - सशर्त अनुदान (Tied Grants) **के रूप में फंड्स का 60 प्रतिशत विशेष रूप से पेयजल, वर्षा जल संचयन और स्वच्छता** के लिए नामित किया जाता है। इसमें **खुले में शौच मुक्त (ODF) गांवों का रखरखाव भी शामिल है।**
- **महत्वपूर्ण उपलब्धियां**
  - **गोवा पहला 'हर घर जल' प्रमाणित राज्य** बना है।
  - **दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव पहला 'हर घर जल' प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश** बना है।
  - **मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला पहला 'हर घर जल' प्रमाणित जिला** बना है।
  - **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहला 'स्वच्छ सुजल प्रदेश'** बना है।

ऑनलाइन | दिल्ली | अहमदाबाद | भोपाल | चंडीगढ़ | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची | सीकर

JJM से संबंधित शुरू की गई मुख्य पहलें

- **रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम (RWPF): यह KPMG इंडिया के सहयोग से पेयजल और स्वच्छता विभाग** (DDWS) द्वारा बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है।
  - इसका मुख्य उद्देश्य WASH **क्षेत्रक में नवाचार को बढ़ावा** देना है।
  - **यह राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को JJM' और SBM-G (स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण)** सहित उनके मुख्य कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करता है।
  - इसमें **संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, कॉरपोरेट्स और नागरिक समाज संगठनों सहित सरकारी संस्थान तथा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दाता एजेंसियां** शामिल हैं।
- **स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान:** यह अभियान राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को **जल की गुणवत्ता के निरीक्षण और निगरानी संबंधी गतिविधियों** के लिए संगठित प्रयास करने हेतु प्रेरित करता है।
- **जलमणि कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम के तहत 2008 से ग्रामीण विद्यालयों में **स्टैंड अलोन जल शोधन प्रणाली की स्थापना** की जा रही है।

योजना से जुड़े मुख्य मुद्दे/ समस्याएं

- **जल की बढ़ती मांग** को पूरा करना।
- 18 राज्यों में **फ्लोराइड, आर्सेनिक और अन्य भारी धातुओं जैसे भूजल संदूषकों की उपस्थिति।**
- भारत में **विविध जलवायु परिस्थितियां पाई जाती हैं और जल की मांग भी उसी के अनुसार बदलती रहती है।**

योजना की प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए **सतत जल संरक्षण पद्धति पर अधिक प्रभावी तंत्रों को लागू करने** की आवश्यकता है। साथ ही, स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए **अवसंरचना का विकास** करने तथा सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए **योजना का प्रभाव आकलन** करने की जरूरत है।

1.5.3 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II {Swachh Bharat Mission (Grameen) Phase-II}

हालिया संदर्भ

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण के दौरान **भारत के 85 प्रतिशत से अधिक गांवों** को ODF+ का दर्जा प्राप्त हुआ है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **योजना का उद्देश्य:** सभी **गांवों द्वारा जल्द-से-जल्द खुले में शौच मुक्त प्लस (ODF+) का दर्जा** हासिल करना।
- **मुख्य फोकस: बेहतर स्वच्छता और साफ-सफाई पद्धतियों को अपनाने** के लिए लोगों के **व्यवहार में परिवर्तन** लाना।
- **योजना की अवधि:** 2020-21 से 2024-25 तक।

ऑनलाइन | दिल्ली | अहमदाबाद | भोपाल | चंडीगढ़ | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची | सीकर

अन्य उद्देश्य

- गांवों में ठोस और तरल अपशिष्ट का सुरक्षित प्रबंधन सुनिश्चित करना,
- खुले में शौच मुक्त व्यवहार को बढ़ावा देना, और
- यह सुनिश्चित करना कि कोई भी पीछे न छूटे और हर कोई शौचालय का उपयोग करे।

इस मिशन की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

- **पृष्ठभूमि:** स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) {SBM (G)} की शुरुआत 2 अक्टूबर, 2014 को की गई थी। उस समय देश में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 38.7 प्रतिशत दर्ज किया गया था।
  - SBM (G) **चरण-I के तहत सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों ने 2 अक्टूबर, 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर स्वयं को ODF घोषित किया था।**
- **खुले में शौच से मुक्त (ODF)**
  - **SBM ODF:** यदि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करता नहीं पाया जाता है, तो उस स्थान को ODF घोषित किया जाता है।
  - **SBM ODF+:** ODF दर्जे को यथावत बनाए रखने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना कि सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय कार्यशील व सुव्यवस्थित हों।

SBM (G) के दूसरे चरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार गांवों के ODF+ दर्जे की घोषणा निम्नलिखित तीन श्रेणियों में की जाती है-

ODF प्लस-उदीयमान (Aspiring)

यह दर्जा उस गांव को दिया जाता है, जो अपनी ODF स्थिति को बनाए रखता है। साथ ही, उसने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की हुई है।

ODF प्लस-उज्ज्वल (Rising)

यह दर्जा उस गांव को दिया जाता है, जो अपनी ODF स्थिति को बनाए रखता है। साथ ही, उसने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था की हुई है।

ODF प्लस-उत्कृष्ट (Model)

यह दर्जा उस गांव को दिया जाता है, जो अपनी ODF स्थिति को बनाए रखता है। साथ ही, उसने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था की हुई है। इसके अतिरिक्त, दिखाई देने वाली स्वच्छता का प्रदर्शन करता है (जैसे न्यूनतम गंदगी, न्यूनतम स्थिर अपशिष्ट जल और सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी प्लास्टिक कचरा नहीं) तथा ODF प्लस सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) संदेश प्रदर्शित करता है।

  - **SBM ODF++:** ODF+ दर्जे को यथावत बनाए रखना तथा शौचालयों की गाद और सेप्टेज का प्रबंधन करना।
- **SBM (G)-II के घटक:**
  - **व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (IHHLs) का निर्माण:** IHHL के निर्माण के लिए और जल भंडारण सुविधाओं हेतु 12,000 रुपये दिए जाते हैं।
  - **शौचालयों की मरम्मत:** राज्यों और जिलों को यह निर्देश जारी किया गया है कि वे लोगों को अपने-अपने घरेलू शौचालयों की समय-समय पर व जरूरत के अनुसार मरम्मत करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए राज्यों व जिलों को IEC एवं अंतर्वैयक्तिक संचार (IPC) उपायों को अपनाना चाहिए।
  - **सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (CSCs) का निर्माण:** ग्राम स्तर पर CSCs के निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता दी जाती है।
  - **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण (SWM):**
    - **जैव-निम्नीकरणीय अपशिष्ट प्रबंधन:** पेयजल और स्वच्छता विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में जैव-निम्नीकरणीय (Biodegradable) अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए पसंदीदा तरीके के रूप में कम्पोस्टिंग को चुनता है।
      - हालांकि, राज्यों के पास स्थानीय स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त प्रौद्योगिकी को चुनने की स्वतंत्रता होती है।
    - **कम्पोस्टिंग:** जैविक अपशिष्ट से खाद बनाने के लिए जैविक अपशिष्ट को पहले निम्नीकृत किया जाता है। इसके लिए एरोबिक (ऑक्सीजन के साथ) और एनारोबिक (ऑक्सीजन के बिना) तरीकों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए SBM निम्नलिखित प्रावधान करता है:

- घरों में जहां जगह उपलब्ध हो, वहां पर **कम्पोस्टिंग के लिए गड्ढे** का निर्माण करना, तथा
- 100-150 घरों के लिए **सामुदायिक स्तर पर कम्पोस्टिंग हेतु गड्ढों** का निर्माण करना।

- **गोबर-धन:** यह एक अपशिष्ट प्रबंधन योजना है। इसके तहत जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट (जैसे पशु अपशिष्ट, रसोईघर के अपशिष्ट, फसल अवशेष आदि) को **बायोगैस व बायोस्लरी में बदल** दिया जाता है। इस प्रकार ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाता है।
  - गांव/ ब्लॉक/ जिला स्तर पर सामुदायिक या क्लस्टर-स्तर के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए **प्रत्येक जिले को 50 लाख रुपये प्रदान किए** जाते हैं।
- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधक:** यह सिंगल-यूज प्लास्टिक (SUP) के उपयोग को रोकने और प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन के बारे में जागरूकता प्रसारित करने के लिए ग्राम पंचायतों (GPs) का समर्थन करता है।
  - प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन ब्लॉक या जिला योजना का एक घटक होना चाहिए।
  - ब्लॉक/ जिला स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई के लिए **प्रति इकाई 16 लाख रुपये तक का प्रावधान** किया गया है।

विश्व ने भारत के स्वच्छ भारत मिशन की सराहना की

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से डायरिया और प्रोटीन-ऊर्जा कुपोषण के कारण प्रतिवर्ष 3 लाख लोगों की असमय मृत्यु को रोका जा सकता है।

World Health Organization

UNICEF/ यूनिसेफ के अनुसार, खुले में शौच से मुक्त परिवार प्रतिवर्ष लगभग 50,000 रुपये की बचत कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें चिकित्सा खर्च से बचाया जा सकता है। स्वच्छता में सुधार के लिए निवेश किया गया प्रत्येक रुपया 4.30 रुपये बचाने में मदद करेगा।

unicef

- **तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कार्य:**
  - **ऑन-साइट ग्रे वाटर प्रबंधन:** सोक पिट, लीच पिट, मैजिक पिट या किचन गार्डन जैसी संधारणीय तकनीकों का उपयोग करके स्रोत पर ग्रे-वाटर का प्रबंधन करना।
  - **सामुदायिक स्तर पर ग्रे-वाटर प्रबंधन:** यदि ऑन-साइट प्रबंधन अव्यावहारिक है, तो WSP, CW, DEWATs, फाइटोरिड जैसी लोकप्रिय तकनीकों का उपयोग करके समुदाय या ग्राम-स्तर पर ग्रे वाटर प्रबंधन का विकल्प चुना जा सकता है।
- **मल गाद प्रबंधन (FSM): जिलों को ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियों की मशीनीकृत मल गाद निकासी को बढ़ाना चाहिए।** साथ ही, मलीय पदार्थ के सुरक्षित निपटान के लिए ट्रीटमेंट यूनिट्स स्थापित करनी चाहिए।
  - जिला या ब्लॉक स्तर पर FSM को लागू करने के लिए **प्रति व्यक्ति 230 रुपये** आवंटित किए जाते हैं।
  - जरूरत पड़ने पर अलग-अलग स्रोतों से अतिरिक्त वित्त-पोषण प्राप्त किया जा सकता है। इन स्रोतों में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD)/ विधान परिषद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLALAD)/ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंड और अन्य राज्य/ केंद्र सरकार की योजनाओं में निर्धारित वित्त-पोषण स्रोत शामिल हैं।
- **पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की भूमिका:** योजना बनाना; फंड की प्राप्ति; समन्वय; निगरानी (सामाजिक लेखा-परीक्षा के माध्यम से); सामुदायिक लामबंदी के जरिए कार्यान्वयन आदि।
- **ग्राम जल और स्वच्छता समिति (VWSC):** यह समिति **ग्राम पंचायत की उप-समिति** के रूप में गठित की जा सकती है। यह ग्रामीणों को स्वच्छता हेतु प्रेरित करने, ग्राम कार्य योजना निर्मित करने आदि मामलों में समर्थन प्रदान करेगी।
- **निगरानी: राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने निम्नलिखित का विकास किया है-**
  - **ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) डैशबोर्ड;**
  - ODF+ **ऐप;**
  - **स्वच्छ ग्राम दर्पण ऐप आदि।**

ऑनलाइन | दिल्ली | अहमदाबाद | भोपाल | चंडीगढ़ | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची | सीकर

स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गई मुख्य पहलें

- **स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल (SIP) पहल:**
  - **उद्देश्य:** SIP **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)** के अंतर्गत शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य **प्रतिष्ठित स्थलों (आध्यात्मिक व सांस्कृतिक) पर और उसके आस-पास साफ-सफाई एवं स्वच्छता मानकों में सुधार** करके आगंतुकों के अनुभव को सुखद बनाना है।
  - **अन्य प्रमुख हितधारक:** इसे **शहरी विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय** (MoJS) द्वारा समन्वित किया जाता है।
  - कुछ SIPs में **अजंता गुफाएं (महाराष्ट्र), सांची स्तूप (मध्य प्रदेश), कुंभलगढ़ किला (राजस्थान), जैसलमेर किला (राजस्थान)** आदि शामिल हैं।
- **राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र (RSK):** इसकी घोषणा **चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह (10 अप्रैल, 2017)** के आयोजन पर की गई थी।
  - **यह गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति (राजघाट)** में स्थित है। यह SBM पर एक इंटरैक्टिव अनुभव केंद्र है।
- **दरवाजा बंद मीडिया अभियान:**
  - **लक्ष्य:** यह उन लोगों में व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने से संबंधित है, जिनके घरों में शौचालय हैं लेकिन वे उनका उपयोग नहीं करते हैं। इस अभियान को **विश्व बैंक** की सहायता प्राप्त है।
  - **'दरवाजा बंद-भाग 2'** अभियान देश के सभी **गांवों के ODF के दर्जे को बनाए रखने** पर केंद्रित है।
- **स्वच्छता ही सेवा अभियान**
  - **लक्ष्य:** स्वच्छता के लिए **लोगों को संगठित करना और जन आंदोलन को मजबूत** करना।
  - यह स्वच्छता पहल, स्वच्छ भारत मिशन को रेखांकित करने के लिए **एक पखवाड़े (fortnight-long/ 14 दिन) तक चलने वाला स्वच्छता अभियान है।**

योजना से जुड़े मुद्दे

- **पाइप से जल आपूर्ति का अभाव** है, शौचालय की उप-संरचनाओं का अपर्याप्त निर्माण हुआ है आदि।
- स्कूल के शौचालयों और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के रखरखाव के लिए **किसी भी संसाधन की कमी** के कारण ये खराब अवस्था में आने लगते हैं। साथ ही, समय के साथ इनका उपयोग भी नहीं होता है।
- जल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए **कर्मचारियों की कमी** एक अन्य गंभीर मुद्दा है।

योजना की प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए **योजना के बारे में जागरूकता, स्वच्छता में कौशल विकास तथा निधियों के उपयोग की प्रभावी निगरानी की** आवश्यकता है।

1.6 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment)

1.6.1 आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana: ABRY)

हालिया संदर्भ

हाल ही में, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) ने **शुरुआत में तय किए गए रोजगार पैदा करने के लक्ष्यों** को हासिल कर लिया है। इसके कारण अब और अधिक रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **योजना का उद्देश्य:** कोविड-19 के बाद **औपचारिक क्षेत्रक में नए रोजगार के सृजन** को बढ़ावा देना।
- **योजना का लाभ: केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में योगदान** से रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)।

अन्य उद्देश्य

- इस योजना का उद्देश्य **नए कर्मचारियों को नियुक्त करने और कोरोना महामारी के कारण नौकरी से वंचित हो चुके कर्मचारियों को फिर से रोजगार देने के लिए EPFO में पंजीकृत नियोक्ताओं को प्रोत्साहित** करना है।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** ABRY की शुरुआत आर्थिक प्रोत्साहन के उद्देश्य से **आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0** के भाग के रूप में की गई थी।
  - ABRY को 1 अक्टूबर, 2020 को शुरू किया गया था। इसमें रजिस्ट्रेशन करने की तारीख 30 जून, 2021 तक थी। बाद में, सरकार ने इसे बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक कर दिया था।
- **पात्रता:** कुछ विशिष्ट शर्तों के अधीन लाभ EPFO के **तहत पंजीकृत सभी प्रतिष्ठानों और उनके नए कर्मचारियों को दिया जाता है। नए कर्मचारियों में निम्नलिखित शामिल हैं-**
  - 15,000 /- रुपये प्रतिमाह से कम वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी;
  - वे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर, 2020 और 30 जून, 2021 के बीच हुई हो, या
  - 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच नौकरी से वंचित हो गए थे।
- **लाभ: निम्नलिखित प्रतिष्ठानों के लिए केंद्र सरकार EPF में अंशदान करती है:**
  - **1,000 तक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान:** ऐसे प्रतिष्ठानों के मामले में केंद्र सरकार **कर्मचारियों के वेतन के 12 प्रतिशत तक तथा नियोक्ता के योगदान के 12 प्रतिशत (कुल 24 प्रतिशत)** तक अंशदान करेगी।
  - **1,000 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान:** ऐसे प्रतिष्ठानों के मामले में केंद्र सरकार **केवल कर्मचारियों के वेतन के 12 प्रतिशत** तक का अंशदान करेगी।

- **आधार से जुड़ा UAN:** नए कर्मचारी के पास आधार से जुड़ा **यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN)** होना चाहिए।
  - भुगतान सीधे पात्र कर्मचारियों के UAN में किया जाएगा। UAN को EPFO सृजित करता है।
- **लाभ की अवधि:** लाभ नए कर्मचारी के पंजीकरण की तारीख से **24 महीनों के लिए** देय होगा। इसकी समय सीमा **मार्च 2024** है।
- **इस योजना के लिए अपात्र लाभार्थी:** यदि नए कर्मचारी पहले से ही निम्नलिखित योजनाओं में पंजीकृत लाभार्थी हैं, तो उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा-
  - **प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY); तथा**
  - **प्रधान मंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY)।**
- **जवाबदेही:** EPFO, **योजना के बंद होने के तीन महीने के भीतर इसका थर्ड पार्टी से मूल्यांकन** करवाएगा।

ABRY योजना के 3 स्तंभ

कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ प्रदान करना

नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करना

कोविड-19 महामारी के दौरान कम/ समाप्त हुए रोजगारों को फिर से बढ़ाना/ बहाल करना।

योजना से जुड़े मुद्दे

- कट ऑफ़ डेट मानदंड के कारण **कुछ लाभार्थियों को अपात्र घोषित** कर दिया गया है।
- 1000 कर्मचारियों के मानदंड पर आधारित **विभेदकारी व्यवहार** योजना की प्रभावशीलता को सीमित करता है।
- लाभार्थियों के बीच **जागरूकता का अभाव** है।

योजना की प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए योजना को और अधिक समावेशी बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए कट ऑफ़ डेट मानदंड को हटाना, **अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाना और योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाना जरूरी है।**

1.6.2 प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना {Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan: PM-SYM)

हालिया संदर्भ

हाल ही में, बढ़ती मुद्रास्फीति और जीवनयापन की उच्च लागत के कारण **असंगठित क्षेत्रक के 21 प्रतिशत श्रमिक PM-SYM योजना से बाहर** हो गए हैं।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **योजना का उद्देश्य: असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा** प्रदान करना।
- **योजना की प्रकृति:** 50:50 के अनुपात में **स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन योजना** के रूप में संचालित होती है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** इस योजना का पेंशन फंड मैनेजर LIC है और यह पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार है।

ऑनलाइन | दिल्ली | अहमदाबाद | भोपाल | चंडीगढ़ | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची | सीकर

अन्य उद्देश्य

- असंगठित श्रमिकों को वृद्धावस्था में संरक्षण प्रदान करना।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं

- **स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन:** लाभार्थी को एक **निर्दिष्ट आयु तक विशेष अंशदान** का भुगतान करना होता है। **केंद्र सरकार** लाभार्थी के **अंशदान के बराबर का योगदान** करती है।
- **न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन:** इसके तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह न्यूनतम 3,000 रुपये की सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी।
- **पारिवारिक पेंशन:** पेंशन मिलने के दौरान **लाभार्थी की मृत्यु होने पर** लाभार्थी के जीवनसाथी को मूल पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का अधिकार होगा। पारिवारिक पेंशन **केवल लाभार्थी के जीवनसाथी को ही मिलेगी।**
  - यदि योजना में **अंशदान का भुगतान करने के दौरान लाभार्थी की मृत्यु** हो जाती है, तो उसका/ उसकी जीवनसाथी या तो नियमित रूप से अंशदान देकर योजना जारी रख सकती/ सकता है या स्वेच्छा से योजना छोड़ सकता/ सकती है। जीवनसाथी निकासी के प्रावधानों के अनुसार **योजना छोड़ने** का विकल्प चुन सकती/ सकता है।
  - लाभार्थी और उसका/ उसकी जीवनसाथी की भी मृत्यु के बाद, पूरी राशि वापस फंड में जमा कर दी जाएगी।
- **प्रशासनिक लागत: लाभार्थी को योजना के तहत कोई प्रशासनिक लागत नहीं देनी होती है,** क्योंकि यह भारत सरकार की एक पूर्णत: सामाजिक सुरक्षा योजना है।
- **अन्य योजनाओं के साथ अनुकूलता:** पात्र व्यक्ति **अटल पेंशन योजना (APY)** के साथ-साथ PM-SYM में भी शामिल हो सकता है।

प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) पेंशन योजना

असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों को वृद्धावस्था में संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

पात्रता मानदंड

इस योजना के लाभार्थी केवल असंगठित क्षेत्रक के श्रमिक होंगे।

योजना में शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है।

मासिक आय 15000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए

- **नामांकन एजेंसी:** देश में सभी कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) इस योजना में नामांकन करने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।
- **अंशदानों का नियमित भुगतान:** यदि कोई लाभार्थी लगातार अंशदान करने में विफल रहता है, तो उसके पास अपने **भुगतान को नियमित करने का विकल्प** होता है।
  - इसमें लाभार्थी को सरकार द्वारा पेनल्टी के रूप में तय किए गए शुल्क के साथ संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करना होगा।
- **नामांकन के लिए निर्धारित शर्तें:** व्यक्ति के पास आधार कार्ड के साथ-साथ IFSC सहित बचत खाता/ जन धन खाता होना चाहिए।
- **योजना को छोड़ने संबंधी प्रावधान और रिफंड:**
  - **10 वर्ष से कम:** यदि लाभार्थी **10 वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना को छोड़ देता है, तो केवल लाभार्थी द्वारा किया गया अंशदान बचत खाते पर मिलने वाली ब्याज दर के साथ लौटा** दिया जाएगा।
  - **10 साल के बाद लेकिन 60 साल से पहले:** यदि लाभार्थी 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि के बाद लेकिन 60 वर्ष की उम्र तक पहुंचने से पहले योजना को छोड़ देता है, तो **लाभार्थी को संचित ब्याज के साथ अपने अंशदान का हिस्सा** प्राप्त होता है। यह संचित ब्याज या तो **फंड द्वारा अर्जित ब्याज होगा या बचत बैंक ब्याज दर के आधार पर** होगा। इनमें से जो भी अधिक होगा, उसका लाभार्थी को भुगतान कर दिया जाएगा।
  - **60 वर्ष से पहले स्थायी दिव्यांगता:** यदि लाभार्थी 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है और **योजना में शामिल नहीं रह सकता** है, तो उसके/ उसकी जीवनसाथी के पास नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना में बने रहने या योजना को छोड़ने का विकल्प होता है।

- योजना को छोड़ने की स्थिति में, जीवनसाथी को फंड की वास्तविक आय या बचत बैंक खाते की ब्याज दर, जो भी अधिक हो, के आधार पर ब्याज सहित लाभार्थी का अंशदान प्राप्त होता है।

➲ **इस योजना के तहत अपात्र लाभार्थी:** व्यक्ति को NPS, ESIC योजना या EPFO में नामांकित नहीं होना चाहिए और वह भी करदाता नहीं होना चाहिए।

योजना से जुड़े मुख्य मुद्दे

➲ योजना की स्वैच्छिक प्रकृति इसके प्रभाव को सीमित कर रही है।

➲ **योजना को बीच में ही छोड़ देने की दर बहुत अधिक** है। इसका कारण यह है कि **उच्च मुद्रास्फीति की वजह से** असंगठित क्षेत्रक के श्रमिक योजना में बने नहीं रह पाते हैं।

➲ लाभार्थियों के बीच **जागरूकता का अभाव** है।

योजना की प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए **मौजूदा पात्र आय सीमा को बढ़ाने, योजना में प्रवेश करने की आयु सीमा में वृद्धि करने और योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता** है।

Lakshya
PRELIMS MENTORING PROGRAM 2024

UPSC प्रीलिम्स 2024 के लिए एक रणनीतिक रिवीजन, प्रैक्टिस और मेंटरिंग प्रोग्राम

2 फरवरी 2024

समयावधि: 3 माह

- निरंतर सहायता और मार्गदर्शन के लिए अत्यधिक अनुभवी एवं योग्य मेंटर्स की टीम
- प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन, CSAT और करेंट अफेयर्स के रिवीजन हेतु एक सुनियोजित योजना
- तैयारी के लिए आवश्यक रिसोर्सेज, जैसे– विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs), क्विक रीवीजन मॉड्यूल (QRMs), और PT–365 का बेहतर तरीके से उपयोग
- रिसर्च पर आधारित व विषयवार स्ट्रैटजी डॉक्यूमेंट्स
- रणनीति पर चर्चा, लाइव प्रैक्टिस और अन्य प्रतिस्पर्धियों से चर्चा के लिए पूर्व निर्धारित ग्रुप–सेशन
- अधिकतम अंक दिलाने वाले विषयों और टॉपिक्स पर विशेष ध्यान
- तैयारी को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने हेतु मेंटर्स के साथ वन–टू–वन सेशन
- अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का लगातार मूल्यांकन एवं सुधार
- तैयारी से संबंधित सलाह और प्रेरणा हेतु टॉपर्स एवं ब्यूरोक्रैट्स के साथ इंटरैक्टिव सेशन

1.7 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises)

1.7.1 पी.एम. विश्वकर्मा योजना (PM VISHWAKARMA SCHEME)

हालिया संदर्भ

प्रधान मंत्री ने **विश्वकर्मा जयंती** के अवसर पर पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए **'पी.एम. विश्वकर्मा'** योजना शुरू की है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **योजना के उद्देश्य:** इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समग्र **समर्थन प्रदान** करना है।
- **कवरेज:** यह योजना **ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शुरू** की जाएगी। इसे **जिला स्तर पर लाभार्थियों की अधिकतम संख्या सुनिश्चित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू** किया जाएगा।
- **योजना की अवधि:** वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक।

अन्य उद्देश्य

- इस योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को **विश्वकर्मा कर्मियों के रूप में मान्यता देना और कौशल उन्नयन** प्रदान करना
- विश्वकर्मा कर्मियों के डिजिटल सशक्तीकरण के लिए **डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा** दिया जाएगा।
- उन्हें विकास के नए अवसर उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए **उनके ब्रांड के प्रचार और बाजार तक सरल पहुंच हेतु एक प्लेटफॉर्म** प्रदान किया जाएगा।

प्रमुख विशेषताएं

- इस योजना का प्रबंधन **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME); कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE)** तथा **वित्त मंत्रालय के तहत कार्यरत वित्तीय सेवा विभाग (DFS)** द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
- **पात्रता के लिए मानदंड:**
  - लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए,
  - **वह हाथों और औजारों की मदद से काम करने वाला** कोई कारीगर या शिल्पकार होना चाहिए,
  - लाभार्थी को इस योजना के तहत **मान्यता प्राप्त 18 परिवार-आधारित पारंपरिक व्यवसायों** में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए।
  - **इस योजना के तहत लाभ परिवार के किसी एक सदस्य** को ही दिया जाएगा।
    - इस योजना में एक 'परिवार' के तहत **पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों** को शामिल किया गया है।
  - साथ ही, पंजीकरण के समय लाभार्थियों को संबंधित व्यवसाय में संलग्न भी होना चाहिए।

- **लाभ**
  - **मान्यता देना:** इसके तहत **पी.एम. विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र और आई.डी. कार्ड** प्रदान करके कारीगरों व शिल्पकारों को मान्यता दी जाएगी।
  - **कौशल को बढ़ाना:** इसके तहत **5-7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिनों या उससे अधिक की अवधि का एडवांस प्रशिक्षण** दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान **500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मानदेय** दिया जाएगा।
  - **टूलकिट संबंधी प्रोत्साहन:** बुनियादी कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत **में ई-वाउचर के रूप में 15,000 रुपये तक का टूलकिट से संबंधित प्रोत्साहन दिया जाएगा।**
  - **ऋण आधारित सहायता:** दो किश्तों में **3 लाख रुपये तक का जमानत मुक्त 'उद्यम विकास ऋण'** प्रदान किया जाएगा।
    - योजना के लाभार्थियों को पहले चरण में **एक लाख रुपये का ऋण** दिया जाएगा। इसे **18 महीनों** में चुकाना होगा। दूसरे चरण में लाभार्थियों को **दो लाख रुपये तक का ऋण** दिया जा सकता है। इस ऋण को 30 महीनों में चुकाना होगा।
    - **ब्याज की रियायती दर:** लाभार्थियों को **5 प्रतिशत** की वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए ऋण पर दी गई **8 प्रतिशत की ब्याज छूट का भुगतान** भारत सरकार करेगी।
    - **DFS सचिव की अध्यक्षता में एक क्रेडिट ओवरसाइट समिति** गठित होगी। यह समिति मौजूदा ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए **8 प्रतिशत की छूट संबंधी अधिकतम सीमा को संशोधित** कर सकती है।
- **उद्यम विकास ऋण हेतु पात्रता मानदंड:**
  - **पहली किस्त की पात्रता के लिए मानदंड:** जिन लाभार्थियों ने **बुनियादी प्रशिक्षण पूरा** कर लिया है, वे ऋण सहायता की पहली किस्त का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।
  - **दूसरी किस्त की पात्रता के लिए मानदंड:** इसके लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए हैं:
    - जिन लाभार्थियों ने **पहली किस्त का लाभ उठाया है,**
    - **एक मानक ऋण खाता** बनाए रखा है, तथा
    - या तो उन्होंने अपने काम में **डिजिटल लेन-देन को अपनाया है या**
    - **एडवांस प्रशिक्षण प्राप्त किया है।**
- **डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहन:** एक माह में **अधिकतम 100 लेन-देन के लिए प्रति लेन-देन 1 रुपये** का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- **मार्केटिंग से संबंधित सहायता:** इस योजना के तहत **नेशनल कमेटी फॉर मार्केटिंग (NCM)** पंजीकृत कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों के लिए मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग में सहायता प्रदान करेगी।
  - NCM विश्वकर्मा कारीगरों व शिल्पकारों के उत्पादों की **गुणवत्ता के प्रमाणन, ब्रांडिंग, विज्ञापन तथा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) जैसे लोकप्रिय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग** के लिए सहायता प्रदान करेगी।
- **लाभार्थियों का नामांकन:** इस योजना के लिए **बायोमेट्रिक-आधारित पी.एम. विश्वकर्मा पोर्टल पर मुफ्त** रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा **कॉमन सर्विस सेंटर** पर उपलब्ध रहेगी।
- **समावेशिता:** योजना के तहत निम्नलिखित समुदायों का सशक्तीकरण करना है-
  - **महिलाएं;**
  - **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBCs, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर जैसे हाशिए पर रहने वाला समुदाय; तथा**
  - **पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों, द्वीपीय राज्यक्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी।**
- **सामाजिक सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना:** केंद्र और राज्य सरकारों की अलग-अलग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में लाभार्थियों के बीच जागरूकता बढ़ाई जाएगी जैसे:
  - प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना;
  - प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना;
  - अटल पेंशन योजना;
  - प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना आदि।
- **कार्यान्वयन फ्रेमवर्क:** इस योजना की **कार्यान्वयन संरचना त्रि-स्तरीय** है। इसमें शामिल हैं: राष्ट्रीय संचालन समिति, राज्य निगरानी समिति और जिला कार्यान्वयन समिति।
- **अंतर-मंत्रालयी समन्वय:** इस योजना का कार्यान्वयन **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, श्रम व रोजगार मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय आदि के समन्वय** से किया जाएगा।

ऑनलाइन | दिल्ली | अहमदाबाद | भोपाल | चंडीगढ़ | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची | सीकर

- **ऋण गारंटी: सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE)** विश्वकर्मा कारीगरों व शिल्पकारों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए पात्र ऋण प्रदाता संस्थानों को गारंटी कवरेज प्रदान करेगा।
- **योजना के तहत अपात्रता:**
  - ऐसे कारीगर या शिल्पकार जिन्होंने पिछले **5 वर्षों में स्व-रोजगार** या व्यवसाय विकास के लिए केंद्र या राज्य सरकार की **समान ऋण-आधारित योजनाओं के तहत ऋण** लिया है।
    - **अपवाद:** यह **मुद्रा (MUDRA) और स्वनिधि योजना के लाभार्थियों** के लिए है, जो उपर्युक्त अवधि के भीतर अपने ऋण का पूरा भुगतान कर देते हैं। वे विश्वकर्मा योजना के लिए पात्र हैं।
  - **सरकारी सेवा** में कार्यरत व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्य इस योजना के लिए पात्र **नहीं** हैं।

योजना से जुड़े मुख्य मुद्दे

- **शिल्प क्षेत्र से संबंधित उपलब्ध डेटा अपडेट नहीं है।** शिल्प आधारित अंतिम जनगणना सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी। यह जनगणना **2012** में पूरी हुई थी।
- इस योजना से अनजाने में जाति-आधारित व्यवसायों को मजबूती मिल सकती है।
- इस योजना के तहत **कारीगरों को कम मजदूरी** मिलने के मुद्दे का समाधान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण शिल्पकार समुदायों के पेशे का क्षरण हो रहा है।
- ध्यातव्य है कि इस योजना का उद्देश्य **गुरु-शिष्य परंपरा** को बढ़ावा देना है, लेकिन **अनिवार्य प्रमाणन प्रशिक्षण प्रावधान इस परंपरा पर प्रतिकूल** प्रभाव डाल सकता है।

योजना की प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए **लाभार्थियों पर रियल टाइम डेटा, कम मजदूरी आदि से संबंधित समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता है।**

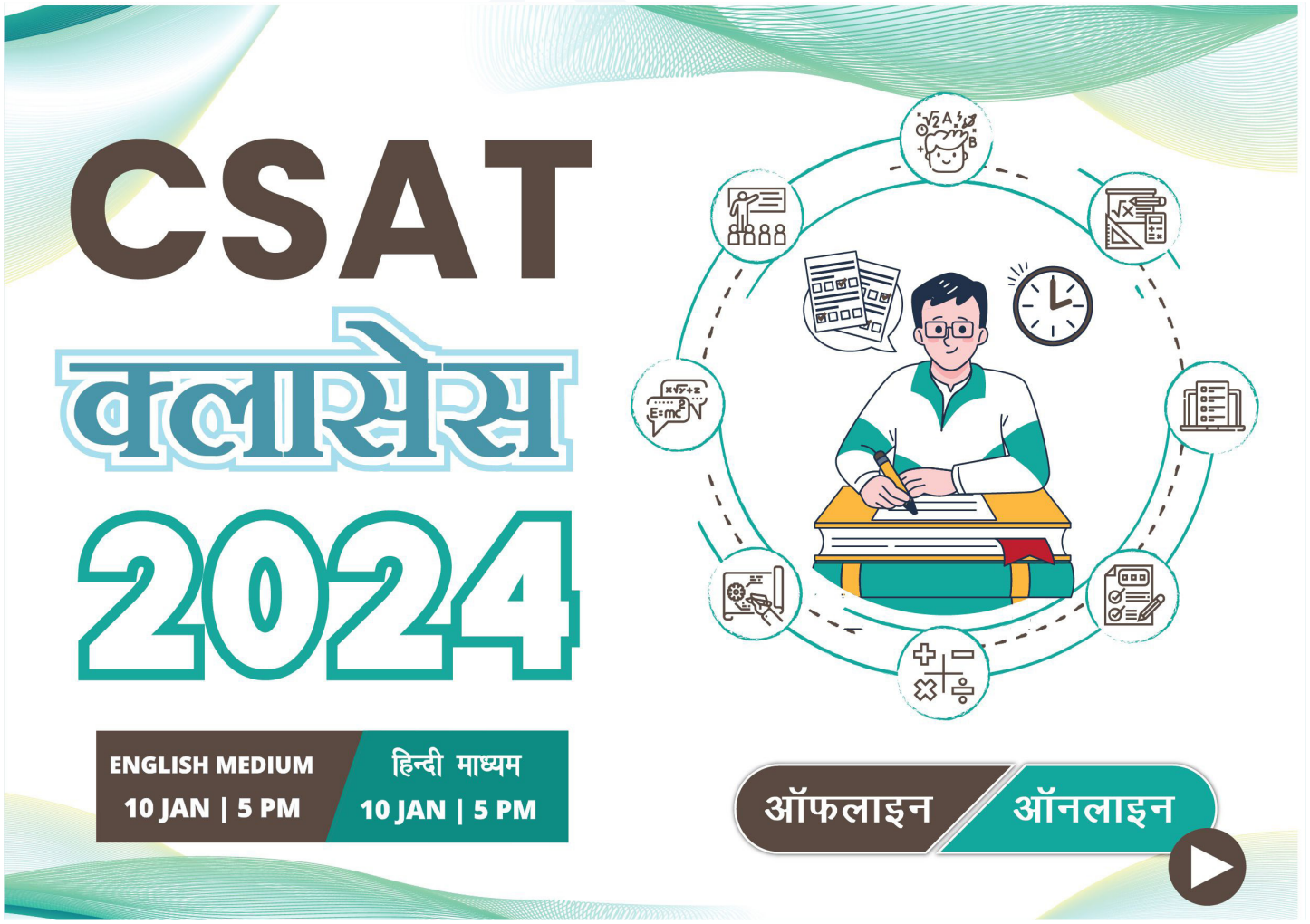

1.8 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas)

1.8.1 प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) 2.0 {Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) 2.0}

हालिया संदर्भ

हाल ही में, केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) का विस्तार किया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक तीन वर्षों में 75 लाख नए LPG कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना के उद्देश्य:** इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन (LPG) प्रदान करके उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है।
- **योजना के तहत आवेदक:** केवल महिला जिसकी **आयु 18 वर्ष** होनी चाहिए।
- **योजना के लाभ:** निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर का कनेक्शन।
- **प्राथमिक लाभार्थी:** महिलाएं एवं बच्चे

अन्य उद्देश्य

- उन **निम्न-आय वाले परिवारों** की महिलाओं को **निःशुल्क (deposit free) LPG कनेक्शन** प्रदान करना, जो PMUY के **पहले चरण के तहत शामिल नहीं किए** जा सके थे।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** PMUY पहल का शुभारंभ 2016 में किया गया था। इसका उद्देश्य **8 करोड़ ग्रामीण और वंचित परिवारों को निःशुल्क (deposit free) LPG कनेक्शन प्रदान** करना था।
  - **केंद्रीय बजट 2021-22 में PMUY योजना के तहत 1 करोड़ अतिरिक्त LPG** कनेक्शन के प्रावधान की घोषणा की गई थी।
  - **31 अक्टूबर 2023 तक,** PMUY के तहत **9.67 करोड़ सक्रिय LPG कनेक्शन** हो चुके हैं।
- **पात्रता:** किसी निर्धन परिवार की **ऐसी वयस्क महिला** इस योजना के लिए पात्र होगी, **जिसके पास उसके परिवार में LPG कनेक्शन नहीं है।**
  योजना के तहत पात्रता के लिए लाभार्थी:
  - सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC) 2011 सूची के अनुसार पात्र हो, या
  - अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति परिवारों से संबंधित हो,
  - **प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) व अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के लाभार्थी हो,**
  - **वनवासी हो तथा अति पिछड़ा वर्ग (MBC),** चाय एवं पूर्व चाय बागान जनजाति या नदी द्वीप में रहने वाले समुदाय से हो।

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के 6 वर्ष पूर्ण

खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन तक सार्वभौमिक पहुंच

विश्व में भारत की **उज्ज्वला योजना** की सराहना हुई

"पर्यावरण और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में एक 'बड़ी उपलब्धि' के रूप में" सराहना की

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)

- **सब्सिडी:**
  - प्रत्येक LPG कनेक्शन के लिए **1600 रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
  - **प्रतिवर्ष 14.2 किलोग्राम रिफिल वाले 12 सिलेंडर्स पर प्रति सिलेंडर 200 रुपये** की सब्सिडी दी जाती है।
- **प्रवासी लाभार्थियों के लिए पंजीकरण का सरलीकरण:** प्रवासियों को राशन कार्ड या पते से संबंधित कोई प्रमाण जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए एक स्व-घोषणा पत्र ही पर्याप्त होगा।
- **योजना के तहत अपात्र लाभार्थी:** जिस परिवार ने किसी तेल विपणन कंपनी से कोई अन्य LPG कनेक्शन लिया हुआ है।

योजना से जुड़े मुख्य मुद्दे

- सिलेंडर रिफिल की उच्च लागत और **दूरदराज के क्षेत्रों में घर पर सिलेंडर की डिलीवरी के अभाव** जैसी लॉजिस्टिक समस्याओं के कारण **सिलेंडर रिफिल की दर बहुत कम** है।
- वास्तविक लाभार्थियों का योजना में शामिल नहीं हो पाना और अपात्र परिवारों का लाभार्थी बनाना।
- **LPG रिफिल का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग** करना।
- **स्वच्छ ईंधन के निरंतर उपयोग की निगरानी के लिए कोई मापदंड तय नहीं** किया गया है।

योजना की प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए **सिलेंडर रिफिल को सस्ता बनाने, रिसाव/ लीकेज को कम करने के लिए वितरक के सॉफ्टवेयर व ई-KYC को अपडेट करने, दुर्गम क्षेत्रों में सिलेंडर की घर पर डिलीवरी करवाने तथा योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है।**

2. सुर्ख़ियों में रही प्रमुख योजनाएं (Flagship Schemes in Focus)

2.1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission: NHM)

स्मरणीय तथ्य

- **मंत्रालय:** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **योजना के उद्देश्य:** समान, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना।
- **मिशन का संचालन:** इस मिशन का निदेशक **अतिरिक्त सचिव** रैंक का अधिकारी होगा।

अन्य उद्देश्य

- **शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर** में कमी लाना।
- **संचारी एवं गैर-संचारी रोगों** की रोकथाम एवं नियंत्रण करना।
- **एकीकृत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं** तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- जनसंख्या **स्थिरीकरण** तथा लैंगिक और जनसांख्यिकीय संतुलन सुनिश्चित करना।
- स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं को पुनर्जीवित करना तथा **आयुष (AYUSH)** चिकित्सा पद्धति को मुख्यधारा में लाना।
- खाद्य एवं पोषण, स्वच्छता और साफ-सफाई तथा लोक स्वास्थ्य देखभाल के लिए **सार्वजनिक सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच** सुनिश्चित करना।
- **स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली** अपनाने को बढ़ावा देना।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- **इस योजना को 2 उप-योजनाओं में बांटा गया है:**
  - **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM):** इसमें शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचनाओं और देखभाल सेवाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM):** इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचनाओं और सेवाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM)**
  - **योजना का कवरेज:** सभी राज्यों की राजधानियां, जिला मुख्यालय और 50,000 से अधिक आबादी वाले शहर/कस्बे।
  - **विकेन्द्रीकृत स्वरूप:** आवश्यकता आधारित शहर विशिष्ट शहरी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली तथा समुदाय एवं स्थानीय निकायों और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया गया।
  - **बाहरी सहायता:** एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा कुछ संकेतकों से संबंधित प्रगति के आधार पर धन उपलब्ध कराया जा रहा है।
  - **सेवा-वितरण अवसंरचना:** शहरी-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी-सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (U-CHC) तथा रेफरल अस्पताल और आउटरीच सेवाएं।

- **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)**
  - **यह मिशन सभी स्तरों पर अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण (Convergence) के साथ पूरी तरह कार्यात्मक, समुदाय के स्वामित्व वाली और विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली** स्थापित करने पर केंद्रित है।
  - यह **जल, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण और सामाजिक व लैंगिक समानता** जैसे स्वास्थ्य के निर्धारक घटकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर एक साथ कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
- **राज्यों को सहायता:** राज्यों को दिया जाने वाला वित्त-पोषण संबंधित राज्य की **कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना** (PIP) पर आधारित होगा।
  - ऐसे राज्य जो **शिशु मृत्यु दर (IMR), मातृ मृत्यु दर (MMR) जैसे प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों के संबंध में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, वे प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त धनराशि प्राप्त** कर सकते हैं।
- **इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (e-VIN):** यह देश भर में कई स्थानों पर रखे गए **टीकों के स्टॉक और भंडारण के तापमान की रियल टाइम में निगरानी** करेगा। इसके लिए यह अत्याधुनिक तकनीक, एक मजबूत आई.टी. अवसंरचना और प्रशिक्षित मानव संसाधन को एक साथ लाएगा।
- **योजना के प्रमुख कार्यान्वयन निकाय:**
  - **तकनीकी सहायता के लिए शीर्ष निकाय:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (NHSRC)।
  - **प्रशिक्षण के लिए शीर्ष निकाय:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (NIHFW)।
  - **राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत निर्देश:** ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में मिशन संचालन समूह (MSG) द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

योजना के तहत शुरू की गई मुख्य पहलें

- **जननी सुरक्षा योजना (Janani Suraksha Yojana)**
  - यह **मांग आधारित और सशर्त नकद अंतरण योजना** (कैश ट्रांसफर स्कीम) है। इसका उद्देश्य **गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों में प्रसव (संस्थागत प्रसव) कराने हेतु प्रेरित** करना है।
  - यह **100% केंद्र प्रायोजित योजना है।**

जननी सुरक्षा योजना (JSY): सुरक्षित मातृत्व हेतु आवश्यक पहल

उद्देश्य: समाज के कमजोर वर्गों की गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव (अस्पतालों में प्रसव) को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर को कम करना।

- यह योजना **2005 में** शुरू की गई थी।
- **आशा कर्मी** लोक स्वास्थ्य क्षेत्रक और गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं, अर्थात वे स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त कराने में मदद करती हैं।
- इसके अंतर्गत **10 सबसे निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों पर ध्यान** केंद्रित किया गया है।
- प्रत्येक संस्थागत प्रसव के लिए आशा कर्मी और माता को **प्रोत्साहन राशि** दी जाती है।

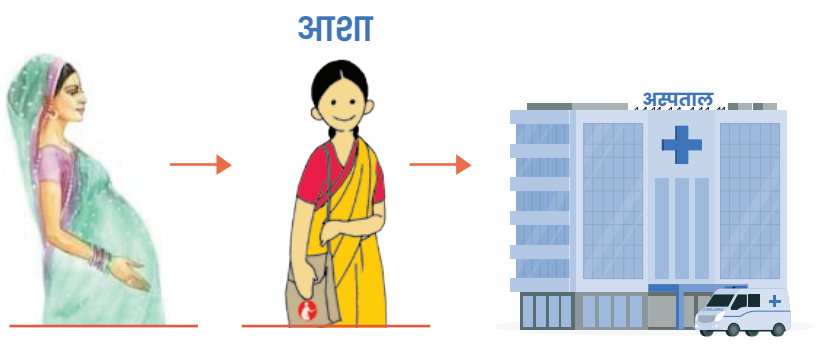

जननी सुरक्षा योजना की लाभार्थी

निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्य*- सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में संस्थागत प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाएं।

उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य- दो जीवित बच्चों के जन्म तक सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में संस्थागत प्रसव कराने वाली गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाली महिलाएं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाएं।

*** कम संस्थागत डिलीवरीदर वाले राज्य**

प्रोत्साहन राशि	माता	आशा-कर्मी
निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्य		
ग्रामीण क्षेत्र	1400 रु.	600 रु.
शहरी क्षेत्र	1000 रु.	400 रु.
उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य		
ग्रामीण क्षेत्र	700 रु.	600 रु.
शहरी क्षेत्र	600 रु.	400 रु.

- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)**
  - **उद्देश्य**
    - गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। साथ ही, **अपनी जेब से होने वाले स्वास्थ्य व्यय (आउट ऑफ पॉकेट व्यय) की समस्या का समाधान** करना।
    - यह कार्यक्रम उन गर्भवती महिलाओं को **'बिना खर्च के प्रसव' (जीरो एक्सपेंस डिलीवरी)** की सुविधा प्रदान करता है, जो अपने प्रसव के लिए सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करती हैं (इन्फोग्राफिक देखिए)।

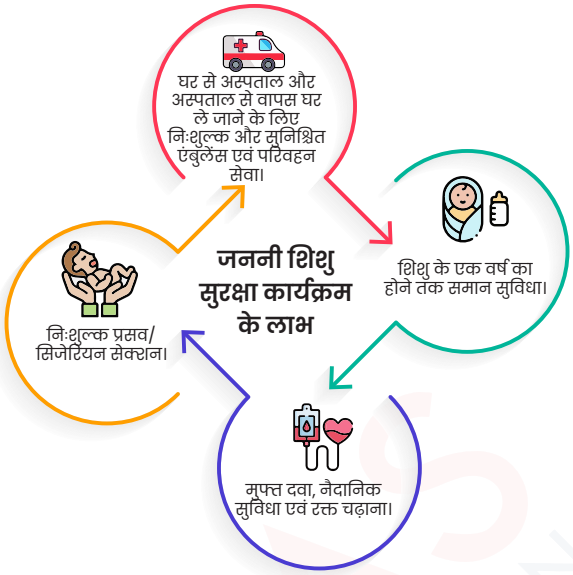

- **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK)**
  - **उद्देश्य:** 4Ds- बच्चों में जन्म के समय किसी भी प्रकार के विकार (Defects at birth), अभाव (Deficiencies), बीमारी (Diseases) और दिव्यांगता सहित बच्चों के विकास में आने वाली रुकावट (Development Delays) की **शुरुआती तौर पर पहचान करना** तथा इस दिशा में शुरुआती उपाय करना।
  - **अपेक्षित लाभार्थी:** इसमें **ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 6 वर्ष तक के आयु समूह के सभी बच्चों** को शामिल किया गया है। साथ ही, **18 वर्ष तक के बड़े बच्चे,** जो सरकारी विद्यालयों और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में **कक्षा 1 से 12** तक के छात्र हैं।
  - बाल स्वास्थ्य स्क्रीनिंग और प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं में **30 चयनित बीमारियों को कवर करने की योजना बनाई गई है।** इसके तहत **स्क्रीनिंग, यथाशीघ्र निदान और निःशुल्क प्रबंधन** शामिल हैं।
- **राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK)**
  - **लाभार्थी:** 10-19 वर्ष के आयु-वर्ग के किशोर।
  - यह कार्यक्रम, **भारत में सभी किशोरों** को उनके स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित तथ्य आधारित जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेने के माध्यम से **अपनी पूरी क्षमता का उपयोग** करने में सक्षम बनाता है।
  - **विद्यालयों में छात्रों के स्वास्थ्य की जांच** की जाती है। इसके बाद बीमारियों {विशेष रूप से गैर-संक्रामक रोगों (NCDs)} का शुरुआती दौर में पता लगाने हेतु उन्हें स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में भेजा जाता है।
  - **समुदाय-आधारित उपाय:** इसके तहत **सहकर्मी शिक्षक (साथिया)** सामाजिक प्रक्रिया के अनुरूप योजना संबंधी जानकारी किशोरों को उपलब्ध कराएंगे।
    - **साथिया रिसोर्स किट:** विशेष रूप से गांवों में सहकर्मी शिक्षकों (Peer educators) को संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने तथा अपने समुदाय के किशोरों के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु साथिया रिसोर्स किट उपलब्ध कराई जा रही है।

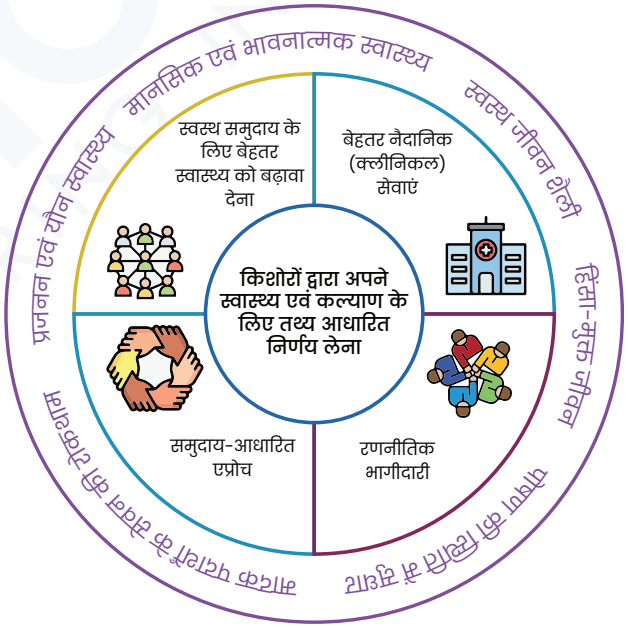

  - **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW)** ने **संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष** (UNFPA) के सहयोग से **राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य रणनीति** विकसित की है।
  - **मासिक धर्म स्वच्छता योजना (MHS):** इसके तहत प्राथमिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली किशोरियों को सब्सिडी युक्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं।
  - **RMNCH+A (प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य):** इसका उद्देश्य **भारत में बच्चों की उत्तरजीविता में सुधार लाने के लिए उनके पूरे जीवन-काल को योजना** के दायरे में लाना है। रणनीति के तहत **"प्लस (+)" निम्नलिखित पर केंद्रित है:**
    - कार्यक्रम की समग्र रणनीति के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन में **किशोरावस्था को एक विशिष्ट चरण के रूप में शामिल** करना।
    - **मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य** को प्रजनन स्वास्थ्य तथा अन्य घटकों जैसे कि- परिवार नियोजन, किशोर स्वास्थ्य, एच.आई.वी., जेंडर और गर्भधारण-पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीकों से **जोड़ना।**
    - **घर की एवं समुदाय-आधारित सेवाओं को** सुविधा केंद्र-आधारित सेवाओं से जोड़ना।

- स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के अलग-अलग स्तरों के बीच **लिंकेज, रेफरल और काउंटर-रेफरल सुनिश्चित** करना। ऐसा करने का उद्देश्य निरंतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना तथा समग्र स्वास्थ्य देखभाल परिणामों (आउटकम्स) और प्रभाव के स्तर पर एक योगात्मक/ सहयोग आधारित प्रभाव लाना।

- **सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (Universal Immunization Programme: UIP)**
  - यह कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा **100% वित्त-पोषित है।**
  - इस कार्यक्रम को 1985 में आरंभ किया गया था। यह **विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक** है।

सरकार द्वारा जारी की गई वैक्सीन

- डिप्थीरिया वैक्सीन
- परट्यूसिस वैक्सीन
- टिटनेस वैक्सीन
- पोलियो वैक्सीन
- मीजल्स (खसरा) वैक्सीन
- हेपेटाइटिस बी वैक्सीन
- पेंटावैलेंट वैक्सीन
- रोटावायरस वैक्सीन
- रूबेला वैक्सीन
- एडल्ट जापानी इंसेफेलाइटिस (JE) वैक्सीन
- जापानी इंसेफेलाइटिस वैक्सीन
- बाईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन (bOPV)
- मीजल्स (खसरा)-रूबेला वैक्सीन (MR)
- इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन (IPV)

- **सघन मिशन इंद्रधनुष-4.0 (Intensified Mission Indradhanush: IMI4.0)**
  - **परिचय:** 2014 में, भारत सरकार ने **नियमित टीकाकरण कवरेज** में सुधार करने के उद्देश्य से एक प्रमुख (फ्लैगशिप) कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष (MI) शुरू किया था।
  - इसके बाद **मिशन इंद्रधनुष-2 (MI2)** और मिशन **इंद्रधनुष-3 (MI3)** भी आरंभ किए गए थे।
  - **सघन मिशन इंद्रधनुष-4.0 (IMI4.0)** का उद्देश्य **कोविड-19 महामारी** के कारण टीकाकरण में **आए व्यवधान की वजह से टीकाकरण में तेजी लाना** तथा छूट गए बच्चों का टीकाकरण करना है।
- **संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Communicable Disease Control Programme)**
  - **राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP):** यह कार्यक्रम मलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और लिम्फैटिक फाइलेरियासिस की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए चलाया जा रहा है।
  - **राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP):** इसके तहत सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के निर्धारित वर्ष (2030) से पांच साल पहले अर्थात 2025 तक भारत में रणनीतिक रूप से क्षय रोग/ तपेदिक रोग (TB) के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है।
    - **निक्षय पोषण योजना (NPY):** इस योजना के तहत TB रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
    - TB के प्रत्येक रोगी को उपचार के दौरान **500/- रुपये प्रति माह नकद या वस्तु के रूप में सहायता प्रदान** की जाती है। यह सहायता राशि लाभार्थी के आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते में **प्रत्यक्ष नकद अंतरण (DBT)** के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।
- **राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NLEP):** इसका उद्देश्य आबादी के सभी वर्गों के कुष्ठ रोगियों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य-देखभाल सेवाएं प्रदान करना है।
- **एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP):** इसका उद्देश्य महामारी का रूप धारण करने वाली बीमारियों के खिलाफ सक्षम रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत करना है।
- **गैर-संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Non Communicable Disease Control Programmes)**
  - कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS)
  - राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टिबाधिता नियंत्रण कार्यक्रम (NPCBVI)
  - राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP)
  - बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPHCE)
  - राष्ट्रीय प्रशामक (Palliative) देखभाल कार्यक्रम (NPPC)
  - राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (NPPCD)
  - राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP)
  - जलने से जख्मी होने की घटनाओं की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPPMBI)
  - राष्ट्रीय ओरल हेल्थ कार्यक्रम (NOHP)

2.2 समग्र शिक्षा अभियान- विद्यालयी शिक्षा के लिए एक समेकित योजना (Samagra Siksha Abhiyaan- An Integrated Scheme for School Education)

स्मरणीय तथ्य

- **मंत्रालय:** यह योजना **केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय** के अधीन चलाई जा रही है।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** इस योजना का कार्यान्वयन **राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी (SIS)** कर रही है।
- **योजना की अवधि:** वर्ष 2021 से 2026 तक।

अन्य उद्देश्य

- शिक्षा में सार्वभौमिक पहुंच, समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना; व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों (TEIs) को बेहतर बनाना।
- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 को लागू करने में राज्यों की सहायता करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **परिचय:** समग्र शिक्षा योजना **विद्यालयी शिक्षा क्षेत्रक हेतु प्री-स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है।**
- **इस योजना में निम्नलिखित तीन योजनाओं को शामिल किया गया है:**
  - **सर्व शिक्षा अभियान:** इसका उद्देश्य **शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में तय मानदंडों और मानकों के अनुसार** विद्यालयों में अवसंरचना निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार **सभी के लिए बुनियादी शिक्षा प्राप्ति सुनिश्चित करना है।**
  - **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA):** इसका उद्देश्य सभी के लिए **माध्यमिक कक्षा के स्तर तक की शिक्षा सुनिश्चित करना और इसकी गुणवत्ता में सुधार** करना है।
  - **शिक्षक प्रशिक्षण योजना:** इसका उद्देश्य **बुनियादी एवं माध्यमिक शिक्षा विद्यालय के शिक्षकों के सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण** के लिए एक ठोस संस्थागत अवसंरचना का निर्माण करना है।

विद्यालयी शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना

SARVA SHIKSHA ABHIYAN
EDUCATION FOR ALL

- इस योजना में 1.16 मिलियन स्कूल और 156 मिलियन से अधिक छात्र तथा सरकारी एवं सरकारी-सहायता प्राप्त स्कूलों के 5.7 मिलियन शिक्षक शामिल किए गए हैं।
- इसका उद्देश्य समतामूलक और समावेशी कक्षा परिवेश सुनिश्चित करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।
- इस योजना में छात्रों के कौशल विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है।
- योजना के तहत सभी बाल केंद्रित सहायता एक निश्चित अवधि में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) मोड के माध्यम से सीधे छात्रों को प्रदान की जाएगी।

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के अनुरूप अन्य मुख्य पहलें**
  - **"सार्थक/ SARTHAQ": यहां सार्थक से आशय है;** "गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति (स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन)"। यह योजना **NEP 2020 को लागू करने के लिए रोडमैप** निर्धारित करती है।
  - **निपुण भारत (NIPUN BHARAT):** यहां **निपुण/ NIPUN** से आशय है: "बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता हेतु राष्ट्रीय पहल (नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी)।"
    - इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि **2026-27 तक प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना कौशल आवश्यक रूप से प्राप्त** करे।
  - **फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी (FLS):** इसे कक्षा 3 के छात्रों की मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के स्तर का आकलन करने के लिए प्रारंभ किया गया है। यह आकलन **NCERT** द्वारा कराया जाता है।
  - **विद्या प्रवेश:** यह NCERT द्वारा विकसित **3 माह का खेल (प्ले) के माध्यम से लर्निंग का 'स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल'** है।
  - **विद्यांजलि 2.0:** यह एक वेब पोर्टल है। यह **समुदाय/ स्वयंसेवकों को अपने ज्ञान और कौशल को साझा करने या संपत्ति/ सामग्री/ उपकरण के रूप में योगदान** देने हेतु सीधे अपनी पसंद के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ संपर्क करने एवं जुड़ने में मदद करता है।
  - **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBVs):** इन विद्यालयों में **कक्षा 12** तक आवासीय और विद्यालयी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सुविधाओं में लड़कियों के सभी छात्रावासों में इंसीनरेटर और सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीनें उपलब्ध कराना भी शामिल हैं।
  - **नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय:** इसके तहत **पहाड़ी इलाकों, छोटी बस्तियों और कम आबादी वाले** क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है। ये विद्यालय ऐसे बच्चों के लिए स्थापित किए जा रहे हैं, जिन्हें किसी भी वयस्क का संरक्षण प्राप्त नहीं है तथा जिन्हें आश्रय और देखभाल की आवश्यकता है।
  - **निष्ठा 4.0 (ECCE):** यह प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए ऑनलाइन **शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम** (ECCE) है।
- **बालिका शिक्षा पर फोकस:** कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBVs) को **कक्षा 6-8 से अपग्रेड करके कक्षा 6-12 तक** कर दिया गया है।
  - उच्च प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को **आत्मरक्षा प्रशिक्षण** प्रदान किया जाता है।
  - **'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'** को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- **डिजिटल शिक्षा पर ध्यान:** 5 वर्षों की अवधि तक सभी माध्यमिक विद्यालयों में **'ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड'** चलाया जा रहा है। **UDISE+, शगुन** जैसी डिजिटल पहलों को मजबूत किया जाएगा।
- **शिक्षा शब्दकोश: यह स्कूली शिक्षा से संबंधित शब्दावलियों की सूची** है। इसे स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL) ने तैयार किया है।
- **प्रशासनिक सुधार:** एकल और एकीकृत प्रशासनिक संरचना तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य योजनाओं के कार्यान्वयन में सामंजस्य स्थापित करना है।
- **समग्र शिक्षा फ्रेमवर्क:** इसे DoSEL ने जारी किया है। यह फ्रेमवर्क **समग्र शिक्षा योजना के प्रत्येक घटक के लिए मुख्य प्रदर्शन संकेतक (Key Performance Indicators: KPI)** उपलब्ध करवाता है। साथ ही, **प्रत्येक घटक के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय विवरण** प्रदान करता है।
- **शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 में संशोधन:** सामान्य स्कूलों में विशेष शिक्षकों (स्पेशल टीचर्स) के स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात के संबंध में अधिनियम की अनुसूची में संशोधन किया गया है। **अधिनियम के अनुसार छात्र-शिक्षक अनुपात निम्नलिखित प्रकार से होना चाहिए:**
  - **प्राथमिक स्कूल के स्तर पर:** प्रत्येक दस दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक विशेष अध्यापक।
  - **उच्च प्राथमिक स्कूल के स्तर पर:** कक्षा में पढ़ रहे प्रत्येक पंद्रह दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक विशेष अध्यापक।

प्रश्नोत्तरी

1. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पी.एम.-किसान) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. योजना के लाभार्थी की पहचान राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
2. इसका उद्देश्य भूमिहीन किसानों सहित सभी किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

2. हाल ही में, सुर्ख़ियों में रहे ABHA ऐप के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है?

(a) यह विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता संगठनों को स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच और उसे साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।
(b) यह दिन के दौरान आपके संपर्क में आए सभी कोविड संक्रमित लोगों का विवरण दर्ज करता है।
(c) यह ड्राइविंग लाइसेंस, अकादमिक मार्कशीट जैसे विभिन्न दस्तावेजों के डिजिटल संस्करणों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है।
(d) यह शिक्षकों के लिए ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज (OER) और टूल्स उपलब्ध करवाता है।

3. प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस योजना को केंद्र सरकार ने 2017 में शुरू किया था।
2. इस योजना के तहत सरकार गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 6,000 रुपये का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।
3. इसका उद्देश्य नकद प्रोत्साहन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीनों
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत किए गए प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है।
2. इसमें खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में पात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाता है।
3. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड इसकी प्रमुख पहलों में से एक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

5. सुर्ख़ियों में रही पी.एम. स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है?

(a) कारीगरों और शिल्पकारों का कौशल उन्नयन करना।

(b) स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती दर पर कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना।

(c) निर्धन गर्भवती महिलाओं के बीच मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर को कम करना।

(d) ग्रामीण कृषि स्वयं सहायता समूहों को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान करना।

6. स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (SBM-शहरी 2.0) योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. SBM–U 2.0 के तत्वावधान में 'मेरी LiFE, मेरा स्वच्छ शहर' अभियान शुरू किया गया है।
2. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, इसमें भारत के सभी वैधानिक नगरों को शामिल किया गया है।
3. 3- GFC एक स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल है, जो इस योजना के अंतर्गत आने वाले शहरों को कचरा मुक्त बनाने पर लक्षित है।
4. योजना स्थानीय स्तर पर नवप्रवर्तित व लागत प्रभावी समाधान अपनाकर उद्यमशीलता को भी बढ़ावा देती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) केवल तीन

(d) सभी चारों

7. प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY–U) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को लाभार्थी सूची से बाहर रखा गया है।
2. इस योजना के तहत वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती-भारत योजना शुरू की गई है।
3. इस योजना का उद्देश्य 2024 तक सभी पात्र परिवारों/ लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराना है।
4. इसके वित्त-पोषण तंत्र में सरकारी व्यय और निजी निवेश दोनों को शामिल किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) केवल तीन

(d) सभी चारों

8. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता और संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एकीकृत करना है।
2. यह मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

9. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
2. इसके लाभार्थियों में व्यक्ति और स्वयं सहायता समूह (SHGs) शामिल हैं।
3. यह योजना सभी महिला स्वयं सहायता समूहों को अतिरिक्त ब्याज छूट प्रदान करती है।
4. इसका उद्देश्य सभी शहरी परिवारों में वृद्धजनों की गरीबी और सुभेद्यताओं को कम करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चारों

10. निपुण/NIPUN योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है?

(a) यह दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अधीन शुरू की गई है।
(b) यह योजना कारीगरों और शिल्पकारों को समग्र सहायता प्रदान करती है।
(c) यह योजना निर्माण क्षेत्रक के श्रमिकों को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित करेगी।
(d) इस योजना को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

11. अटल भूजल योजना (अटल जल) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
2. यह योजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

12. पानी समितियों के संदर्भ में, गलत कथन की पहचान कीजिए?

(a) ये समितियां गांव की जल आपूर्ति प्रणाली के नियमित संचालन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं।
(b) इनका गठन अटल भूजल योजना (अटल जल) के तहत किया गया है।
(c) पानी समितियों में न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होनी चाहिए और समाज के कमजोर वर्गों का भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
(d) उपर्युक्त से कोई नहीं।

13. प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह योजना असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।
2. यह एक स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन योजना के रूप में संचालित होती है।
3. इस योजना का पेंशन फंड मैनेजर जीवन बीमा निगम (LIC) है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीनों

(d) कोई नहीं

14. हाल ही में, पी.एम. विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है। यह निम्नलिखित में से किसके कल्याण को बढ़ावा देती है?

(a) पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार

(b) दैनिक वेतन भोगी कामगार

(c) किसान

(d) वाहन चालक

15. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. विद्युत मंत्रालय इस योजना की नोडल एजेंसी है।
2. इसका लक्ष्य हर घर में LED लाइट्स उपलब्ध कराना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

16. सुर्ख़ियों में रही 'विद्यांजलि 2.0' पहल है:

(a) यह अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना है।

(b) यह NCERT द्वारा शुरू किया गया शिक्षा का स्रोत है।

(c) निजी संस्थानों द्वारा प्राथमिक सरकारी स्कूलों को गोद लेना।

(d) यह एक वेब पोर्टल है, जो समुदाय/ स्वयंसेवकों को अपने ज्ञान और कौशल को साझा करने हेतु सीधे अपनी पसंद के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ संपर्क करने एवं जुड़ने में मदद करता है।

17. जननी सुरक्षा योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह राज्य स्वास्थ्य विभागों का एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है।
2. इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों की गर्भवती महिलाओं के बीच मातृ मृत्यु दर एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना है।
3. इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों की गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है।
4. इसके उद्देश्यों में एक वर्ष की आयु तक के बीमार शिशुओं को लोक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना शामिल है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) केवल तीन

(d) सभी चारों

18. सघन मिशन इंद्रधनुष (IMI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका उद्देश्य नियमित टीकाकरण कवरेज में सुधार करना है।
2. IMI4.0 को COVID-19 महामारी के कारण टीकाकरण में आए व्यवधान की वजह से टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए शुरू किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

19. प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) के संदर्भ में, निम्नलिखित पात्रता मानदंडों पर विचार कीजिए:

1. लाभार्थी असंगठित क्षेत्रक का श्रमिक होना चाहिए।
2. लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
3. उसकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
4. उसे ग्रामीण क्षेत्रों से सबद्ध होना चाहिए।

किसी व्यक्ति को इसका लाभार्थी बनने के लिए उपर्युक्त में से कितने पात्रता मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है।

(a) केवल दो
(b) केवल तीन
(c) सभी चारों
(d) कोई नहीं

20. समग्र शिक्षा अभियान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसमें प्री-स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक शामिल है।
2. इसमें सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) को शामिल किया गया है।
3. यह कौशल प्रदान करने पर जोर देता है।
4. यह निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 को लागू करने में राज्यों की सहायता करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चारों

ANSWER

1	2	3	4
Answer: A	**Answer: A**	**Answer: C**	**Answer: D**

5	6	7	8
Answer: B	**Answer: D**	**Answer: C**	**Answer: C**

9	10	11	12
Answer: B	**Answer: B**	**Answer: C**	**Answer: B**

13	14	15	16
Answer: C	**Answer: A**	**Answer: D**	**Answer: D**

17	18	19	20
Answer: B	**Answer: C**	**Answer: B**	**Answer: D**

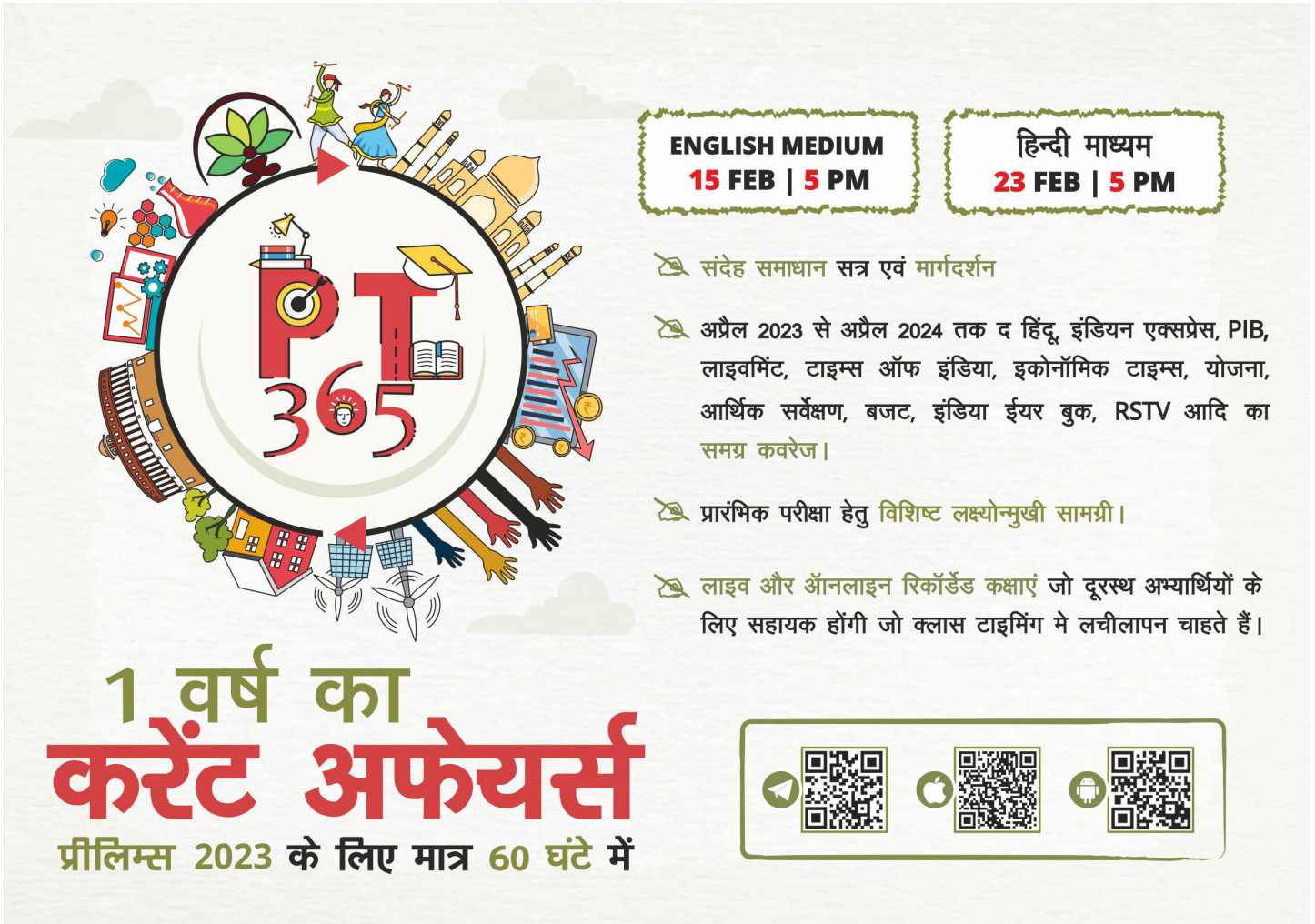

LIVE / ONLINE
Classes also Available

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS CUM MAINS
2025, 2026 & 2027

28 FEB, 5 PM | 16 JAN, 9 AM

- Includes comprehensive coverage of all topics for all the four papers of GS Mains, GS Prelims, CSAT and Essay
- Foundation Course Program 2025 include Pre Foundation classes* (70 classes) for understanding of Key GS concepts & fundamental of NCERTs & Basic Books
- Access to Live as well as Recorded classes on your personal online Student Platform
- Includes Personality Development Programme
- Duration for 2025 Program: 16 months

*: Pre-foundation classes are designed to provide a strong foundation in core UPSC CSE subjects, utilizing NCERTs and basic textbooks. They serve as the initial step in the comprehensive preparation journey for the UPSC Civil Services Examination by providing conceptual clarity in core GS subjects such as History, Polity, Geography, Economy, and Environment. Further, Pre-Foundation Classes act as a transition platform toward the VisionIAS Regular Foundation Course Program, 2025.

Pre-Foundation Classes

Pre-foundation classes are designed to provide a strong foundation in core UPSC CSE subjects, utilizing NCERTs and basic textbooks.They act as a transition platform towards the Regular Foundation Course.

Read by All, Recommended by All

Relevant & up-to-date study material in the form of magazines compiled by a dedicated team of experts

Personal Guidance Simplified

Receive one-to-one guidance on a regular basis to resolve your queries & stay motivated

All India Test Series

Opted by every 2 out of 3 selected candidates. The VisionIAS Post Test Analysis provides corrective measures and also continuous performance improvement

Never Miss a Class

Technological support to access recorded classes, resources, track your Absolute & Relative performance through your own student portal

Continuous Individual Assessment

Students are provided personalized, specific & concrete feedback and attention through regular tutorials, mini tests and All IndiaTest Series

Heartiest Congratulations
to all Successful Candidates

39 in Top 50 Selection in CSE 2022

1 AIR
ISHITA KISHORE

2 AIR
GARIMA LOHIA

3 AIR
UMA HARATHI N

हिंदी माध्यम में 40+ चयन CSE 2022 में

– हिंदी माध्यम टॉपर –

66 AIR
KRITIKA MISHRA

85 AIR
BHARAT JAI PRAKASH MEENA

105 AIR
DIVYA

120 AIR
GAGAN SINGH MEENA

173 AIR
ANKIT KUMAR JAIN

8 in Top 10 Selection in CSE 2021

2 AIR
ANKITA AGARWAL

3 AIR
GAMINI SINGLA

4 AIR
AISHWARYA VERMA

5 AIR
UTKARSH DWIVEDI

6 AIR
YAKSH CHAUDHARY

7 AIR
SAMYAK S JAIN

8 AIR
ISHITA RATHI

9 AIR
PREETAM KUMAR

1 AIR
SHUBHAM KUMAR
CIVIL SERVICES EXAMINATION 2020

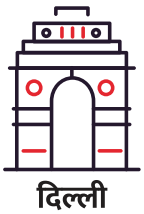
दिल्ली

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate-6, Karol Bagh Metro Station, Delhi

MUKHERJEE NAGAR CENTRE
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar, Delhi

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

ENQUIRY@VISIONIAS.IN /VISION_IAS WWW.VISIONIAS.IN /C/VISIONIASDELHI VISION_IAS /VISIONIAS_UPSC

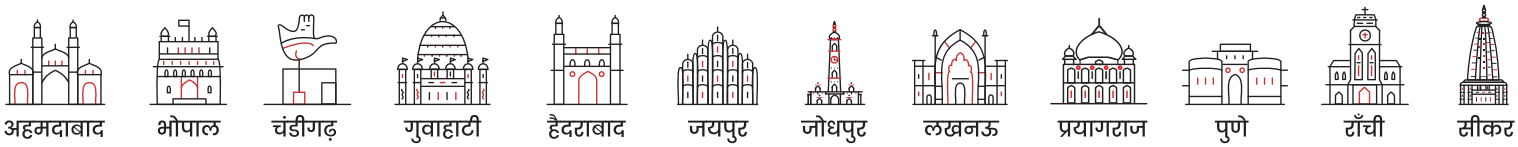
अहमदाबाद भोपाल चंडीगढ़ गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची सीकर